प्रकाशन का 42 वां वर्ष
सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित
शैल
निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार
प्रदेशवासियों को शैल परिवार की ओर से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनायें
www.facebook.com/shailshamachar
ई–पेपर
प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक
वर्ष 42 अंक–1 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पंजीकरण एच. पी./93/एस एम एल Valid upto 31-12-17 सोमवार 2–9 जनवरी 2017 मूल्य पांच रूपए

भाजपा पर जमीन खरीद का आरोप

सुक्खु आरोप की डिटेल जारी नही कर रहे और भाजपा खण्डन नही कर रही क्यों?

शिमला/बलदेव शर्मा

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ठाकुर सुखविन्दर सिंह सुक्खु ने प्रदेश भाजपा पर शिमला, सोलन और बिलासपुर में 15 करोड़ की जमीन खरीदने का आरोप लगाया है लेकिन इस खरीद के कोई दस्तावेज उन्होने मीडिया को जारी नही किये हैं। पत्रकार वार्ताओं में आरोप लगाने के साथ उनकी पुष्टि के लिये दस्तावेजी प्रमाण क्यों जारी नहीं किये जा रहे हैं यह अभी तक रहस्य बना हुआ है। लेकिन भाजपा ने भी इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया जारी नही की है। भाजपा द्वारा वीरभद्र सरकार के खिलाफ एक लम्बा चौड़ा आरोप पत्र राज्यपाल को सौंपने के साथ ही भाजपा पर लगने वाला यह आरोप और इस पर अपनाया गया खामोशी का रूख अपने में ही बहुत कुछ ब्यान कर जाता है।

स्मरणीय है कि 2016 को कालेधन के खिलाफ मोदी की कड़ी कारवाई के रूख में याद किया जायेगा क्योंकि पहले आय की स्वैच्छिक घोषणा योजना लायी गयी और उसके बाद नोटबंदी। कालेधन का सबसे ज्यादा निवेश रियलइस्टेट में रहा है इसलिये मोदी सरकार का अगला बड़ा कदम इस दिशा में किये बड़े निवेश को लेकर होगा यह घोषणा की गयी है। रियलइस्टेट में हुए बड़े निवेश के तहत 2016 में राजधानी शिमला और उसके आप–पास जो जमीन के सौदे हुए हैं। यदि उन पर नज़र डाली जाये तो यह कुछ नाम सामने आते है तरूण बख्शी, वरूण बख्शी, बंप्पी बख्शी और अंजूबाला के नाम शिमला के करेडू में 19–7–2016, 15/9 और 26–10–2016 को अलग–अलग रजिस्ट्रीयां हुई। सबके नाम दो–दो रजिस्ट्रीयां है। एक रजिस्ट्री 1,60,000 चार 35–35 लाख और चार 28–28 लाख की हैं। इनके बाद दूसरा नाम मै0 एजिस सैन्टर प्वाईट डवैलप्वरज मकान न0 1084 सैक्टर 27–बी चण्डीगढ़ का है। इन्होने शुईला में 17–6–2016 को 2–69–81 है 6.74 करोड़ और 1–92–99 है 5,08 करोड़ में रजिस्ट्री करवाई है। कमला नगर में मीनाक्षी के नाम 6–8–2016 और 12–8–2016 को 49–49 लाख की रजिस्ट्री है। 16–9–2016 को सुनील कुकरेजा ने बेम्लोई में शिखा अरोड़ा से 71 लाख में प्लाट की खरीद की है।

इसी तरह मै0 दक्षा इन्फ्रा बिल्ड प्रा0 लि0 बी–7/45 सफदर जंग एनकलेव ने गुडगांव के योगेश कौशिक के माध्यम से शिमला के पन्ती में करीब 30 बीघा जमीन 26/8, 27/8, 30–8–2016 को करीब 3.5 करोड़ रजिस्ट्री करवाई है। अभिनेता अनुपम खेर ने टुटु के देवेन्द्र मोहन से 8.6. 2016 को एक प्लाट हरमन डिसूजा के माध्यम से 55 लाख में खरीदा है। लेकिन सबसे बड़ा सौदा कुफरी होटलज़ का हुआ है जिसे पटना के सत्यदेव हास्पिटैलीटी ने एक पंकज कश्यप के माध्यम से 32.50 करोड़ में खरीदा है। शिमला में 2016 में यही बड़े सौदे हुए है। इनमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के आरोप को इंगित करता एक भी सौदा नही है। लेकिन इन सौदों में कई ऐसे सौदे हैं जिनमें भू–सुधार अधिनियम की धारा 118 को लेकर मिली अनुमतियों पर कई तरह की चर्चाएं हैं। क्योंकि जिन बिल्डरज़ ने यह बड़ी खरीद की है उन्हे इससे पूर्व सरकार से कई तरह के अनिवार्यता प्रमाण लेने आवश्यक थे। क्योंकि इतनी ज्यादा जमीन व्यवसायिक उद्देश्य के बिना नही खरीदी जा सकती है और इसके लिये सभी तरह की पूर्व अनुमतियां वांच्छित है। फिर इन जमीनों पर कितने पेड़ किस तरह के थे उसका प्रमाण पत्र 118 की अनुमति के समय स्वयं जिलाधीश को देना होता है । इसी के साथ यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि जमीन बेचने वाला इसके बाद स्वयं भूमिहीन तो नहीं हो जाता है। शैल को मिली जानकारी के मुताबिक 118 की अनुमति में बहुत सारी चीजों को नजर अंदाज कर दिया गया है।

जाठिया देवी हाऊसिंग कालोनी का निमार्ण सिंगापुर की कंपनी के हवाले

शिमला/बलदेव शर्मा

प्रदेश सरकार आवास विभाग हिमुडा के माध्यम से समाज के विभिन्न आय वर्ग के लोगों के लिये उनकी आवास संबधी आवश्यकताओं के अनुरूप मकानों/फ्लैटों के निर्माण और प्लाटों को विकसित करने का कार्य करता है। वित्तिय वर्ष 2016.17 में 122 फ्लैटों के निर्माण और 145 प्लाटों को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। हिमुडा के पास प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर 454–12 बीघा उपलब्ध है। इस समय ठियोग, फ्लावरडेल, संजौली मन्दाला (परवाणु) जुरजा (नाहन) और भटोली खुर्द (बददी) में आवासीय कालोनियों के निर्माण का कार्य चल रहा है। वित्तिय वर्ष 2015– 16 के लक्ष्यों के मुताबिक शील (सोलन) बरोली खुर्द त्रिलोकपुर (नाहन) और शिमला के विकास नगर में वाणिज्य परिसर के निर्माण का कार्य चल रहा है। शहरी गरीबों के लिये आशियाना (2) का ढली में निमार्ण चल रहा है।

लेकिन अभी 2016 –17 में शिमला के जाठिया देवी शनान में 5.91.69 है0 जमीन करीब दस करोड़ में खरीदी है। इस जमीन खरीद की योजना कब बनी और क्या यहां पर बनने वाले मकानों/फ्लैटों के खरीददार हिमुडा के पास उपलब्ध है? यह मकान/फ्लैट किस आय वर्ग के लिये होंगे और कब तक तैयार हो जायेंगे? इस पर हिमुडा प्रबन्धन स्पष्ट रूप से कुछ कहने की स्थिति में नही है। क्योंकि नोटबंदी का सबसे ज्यादा असर रियल इस्टेट पर ही हुआ है। लेकिन मार्किट की असमंजस पूर्ण स्थिति के वाबजूद हिमुडा ने इस कालोनी के निमार्ण का कार्य सिंगापुर की एक कंपनी को सौंप दिया है। पिछले दिनों इस कंपनी के प्रतिनिधि शिमला आये थे। इन लोगों को होटल वाईल्डफ्लावर हॉल में ठहराया गया और होटल सिसिल में इनके साथ इस निमार्ण का एमओयू साईन किया गया। कंपनी के लोगों को जमीन दिखवाने के लिये यहां पर उगी झाड़ियों को साफ करवाने के लिये ही करीब आठ लाख रूपया खर्च किया गया है। यही नहीं कंपनी के लोगों को वापिस जाते समय भारी भरकम तोहफे भी यादगार के नाम पर दिये गये है।

इस सिंगापुर की कंपनी के साथ इस तरह वीआईपी ट्रिटमैंन्ट क्यों किया गया? जबकि यह कंपनी तो एक ठेकेदार से ज्यादा नही है। यह कंपनी इस निमार्ण के लिये क्यों चिन्हित हुई? क्या जाठिया देवी की जमीन खरीद से पहले ही यह कंपनी चिन्हित कर ली गयी थी? क्या इस कंपनी के लिये ही बिना पूर्व योजना के यह जमीन खरीदी गयी? चर्चा है कि इस कंपनी के तार जयपुर से जुड़े हुए है। यह भी चर्चा हैं कि इस कंपनी का सिंगापुर में कोई बड़ा होटल और उसमें यहां के किसी बड़े का करोड़ो का निवेश हैं चर्चा तो यहां तक है कि इस कंपनी से जुडे जयपुर के लोग शिमला के मशोबरा क्षेत्र में कोई जमीन खरीदना चाह रहे थे और उनका शायद सौदा भी हो गया था तथा करीब सात करोड़ का लेन – देन भी हो चुका था लेकिन बाद मे यह सौदा पूरा नहीं हो पाया। बल्कि लेन–देन की वापसी के लिये आपस में झगड़ा तक हो गया। कहते है कि इस झगडे का निपटारा एक पुलिस अधिकारी के माध्यम से हुआ। लेन– देन को लेकर वाकायदा एक शपथ पत्र तक साईन हुआ है। माना जा रहा है कि इस जाठिया देवी हाऊसिंग कालोनी के निमार्ण के लिये सिंगापुर की कंपनी को चिहिन्त करने की पृष्टभूमि में इस झगड़े की भी भूमिका रही है। इस कंपनी ने दिल्ली स्थित एक राजस्थान के व्यक्ति को ही इस निमार्ण में कन्सलटेन्ट की जिम्मेदारी सौंपी है। हिमुडा में इस निमार्ण को लेकर कई तरह की चर्चाएं सुनी जा सकती है।

सरकार करेगी बेंटनी कैसल का अधिग्रहण: मुख्यमंत्री

शिमला/भारती शर्मा

कांगड़ा के नूरपूर में आउटडोर स्टेडियम का निर्माण करने के लिए पूर्व की प्रेम कुमार धूमल की सरकार के शासन काल में प्रदेश सरकार के युवा विभाग व खेल सेवाएं विभाग व धूमल के पुत्र अनुराग ठाकुर की एचपीसीए के बीच हुए एग्रीमेंट को वीरभद्र सिंह सरकार ने रदद कर दिया हैं। युवा सेवाएं एवं खेल विभाग तथा एचपीसीए के बीच 5 मई, 2012 को ये समझौता हुआ था।

उस वक्त नूरपूर के तत्कालीन विधायक राकेश पठानिया ने सरकार को एक प्रस्ताव दिया था जिसके तहत नूरपूर के चौगान में एक मल्टीपर्पज स्टेडियम बनाया जाना था। इस बावत जमीन खेल विभाग को ट्रांसफर हुई थी व एचपीसीए के साथ स्टेडियम बनाने को लेकर समझौता हुआ था। एचपीसीए प्रवक्ता संजय शर्मा ने कहा कि 2013 में प्रदेश में सता बदल गई तो मौजूदा विधायक व वीरभद्र सरकार ने कोई पहल नही की ऐसे में एचपीसीए ने भी कुछ ज्यादा नही किया।

भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर की एचपीसीए मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के निशाने पर शुरू से ही रही हैं व आज ये एक और फैसला कर दिया गया। वीरभद्र सिंह परिवार व धूमल परिवार के बीच चल रही जंग की ये एक कड़ी हैं। हैरानी इस बात पर है कि आखिर चार सालों बाद ही ऐसा कोई फैसला क्यों लिया गया। समझा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से अनुराग ठाकुर को बीसीसीआई के अध्यक्ष पद से हटाने के बाद वीरभद्र सरकार ने ये फैसला लेकर अनुराग को एक और झटका दिया हैं। केबिनेट ने इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण फैसला बेंटनी कैसल को लेकर लिया।

केबिनेट ने फैसला लिया कि बेंटनी को लेकर गठित समझौता समिति की सिफारिशों को मंजूर कर शिमला स्थित कालीबाड़ी मंदिर के समीप बेंटनी कैसल की सारी जमीन को अधिग्रहित करने का निर्णय लिया गया। समझौता समिति की सिफारिश पर ज़मीन के मालिक को 27.84 करोड़ रुपये की राशि की अदायगी करने को भी मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेंटनी कैसल के पुराने भवन का जीर्णोद्वार कर यहां पर एक संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, इस क्षेत्र में एक मनोरंजन पार्क व रेस्तरां भी विकसित किया जायेगा जो पर्यटकों व स्थानीय लोगों के लिए आकर्षण का केन्द्र होगा।

इस जमीन पर धूमल सरकार के समय कई रइसों की नजर थी लेकिन सौदा सिरे नही चढ़ पाया था। वीरभद्र सरकार की ओर से अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान कराई गई जनसुनवाई में स्थानीय भाजपा विधायक सुरेश भारद्वाज ने इस अधिग्रहण का विरोध किया था व कहा था कि ये अधिग्रहण राजनीति से प्रेरित हैं। इसके अलावा पहले सरकार 3860 वर्गमीटर(केवल ढांचा) जमीन की अधिग्रहित कर रही थी। लेकिन जमीन के मालिक पूरी जमीन के अधिग्रहण पर अड़ी हुई थी। आखिर में मालिकों को मना लिया गया हैं।

मुख्यमंत्री वीरभद्र की अध्यक्षता में हुई केबिनेट ने प्रदेश के सीमेंट कारखाने वालों पर भी मेहरबानी लुटाई व मंत्रिमण्डल ने चूना पत्थर तथा फ्लाई-ऐश पर लगने वाले एजीटी कर की दरों का भी युक्तिकरण किया है, जो कि निर्मित उत्पादों के लिए प्रमुख कच्चा माल है। इसमें दरों को बजट घोषणा के अनुरूप 25 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे उद्योगों को दोहरे कर से राहत मिलेगी, जिसमें कच्चे माल को लाने और निर्मित उत्पाद को ले जाने के लिए कर देना पड़ता है।

मंत्रिमण्डल ने बिलासपुर ज़िला के गोबिंद सागर पर निर्माणाधीन तथा काफी समय से लंबित 317.50 मीटर लम्बे बगछाल पुल के निर्माण को भी स्वीकृति प्रदान की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पुल का निर्माण पिछले कई वर्षों से किया जा रहा है, जो गेहड़वी तथा कोट-कहलूर विधानसभाओं को जोड़ेगा। इस पुल का निर्माण होने से सवारघाट के नदी किनारे के 14 गांव के 14 हजार लोगों तथा दूसरी तरफ शाहतलाई की ओर रहने वाले 19 गांवों के 20 हजार लोग लाभान्वित होंगे।

मंत्रिमण्डल ने शिमला ज़िला की जुब्बल तहसील के भठाड़ गलू, मण्डी जिला के थुनाग तहसील के कंडी, किन्नौर जिला की मुरंग तहसील के रिब्बा, सांगला तहसील के रकछम तथा पूह तहसील के नामंगिया में नए पटवार वृतों के सृजन के साथ पटवारियों के पदों के सृजन को भी स्वीकृति प्रदान की।

स्वास्थ्य क्षेत्र

मंत्रिमण्डल ने शिमला जिला की जुब्बल तहसील के अंतर्गत खड़ापत्थर और भोलाड़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की भी स्वीकृति दी तथा साथ-साथ तीन पद स्वास्थ्य अधिकारी, फार्मासिस्ट और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के सृजित करने की भी स्वीकृति प्रदान की।

यह भी निर्णय लिया गया कि आयुर्वेद विभाग में तीन पद वरिष्ठ सहायक के सृजित किए जाए, जो प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में होंगे, इन्हें पदोन्नति से भरा जाएगा तथा तीन पद जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी भी अनुबंध आधार पर स्वीकृत किए गए।

आयुर्वेद विभाग में एक पद विधि अधिकारी का भी सृजित करने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सुन्नी के उप-मोहाल जंगल मेहदूधजा कौनपुर में बस अड्डे के निर्माण के लिए सरकारी भूमि राज्य सिटी ट्रांस्पोर्ट बस अड्डा प्राधिकरण के पक्ष में पट्टे पर करने की स्वीकृति प्रदान की।

रक्कड़ में अस्थाई पुलिस चौकी को पूर्णरूपेण पुलिस थाना में स्तरोन्नत करने का भी निर्णय लिया गया। जयसी (528 मैगावाट) एचईपी (जिसे सुन्नी बांध पुनरनामित किया गया है) को सतलुज जल विद्युत निगम को आंबटित करने का निर्णय लिया गया।

नूरपुर के सुलयाली में लोक निर्माण विभाग के नए विश्राम गृह के निर्माण को भी स्वीकृति दी गई।

मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप सिरमौर जिला के पराड़ा स्थित पशु औषधालय को स्तरोन्नत कर पशु अस्पताल करने का निर्णय भी मंत्रिमण्डल में लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने हि.प्र. परिवहन विभाग में सेवादार के 5 पद भरने की स्वीकृति दी।

मंत्रिमण्डल ने कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के 20 पदों को अनुबंध आधार पर सृजन और भरने तथा एलडीआर के माध्यम से लिपिकों के 5 रिक्त पदों को भरने को दी स्वीकृति।

बैठक में ऑफिस प्रभारी एवं अधीक्षक/प्रबंधक के 12 पदों को कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) में बदलकर कर अनुबंध आधार पर भरने को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में श्रम कल्याण अधिकारियों के 12 पदों को सृजन तथा अनुबंध आधार पर भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण, कामगार कल्याण बोर्ड में डाटा एंट्री ऑपरेटर के 4 पदों, चौकीदार के 4 पदों, अंशकालीन स्वीपर के 4 पदों को आउटसोर्स आधार पर भरने को दी स्वीकृति।

बैठक में श्रम एवं रोजगार विभाग के विभिन्न कार्यालयों में आउटसोर्स आधार पर 36 स्वीपरों तथा दो पद सेवादार लेबर कोर्ट-कम-इंडस्ट्रीयल ट्रिब्यूनल शिमला तथा धर्मशाला में आउटसोर्स आधार पर नियुक्त करने को दी स्वीकृति।

बैठक में सूचना एवं प्रोद्यौगिकी विभाग में निजी सहायक के एक पद को भरने को दी स्वीकृति।

बैठक में महिलाओं के लिए स्टेट रिसोर्स केन्द्र में सचिवालय/सहयोगी स्टाफ के 4 पदों को भरने को दी स्वीकृति। बैठक में आईसीएसए सुन्दरनगर में अंशकालीन आधार पर संगीत अध्यापक के पद के विरूद्ध इस पद के सृजन को दी स्वीकृति।

बैठक में बागवानी विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबंध आधार पर 18 स्कीलड ग्राफ्टरस के पदों को भरने को दी स्वीकृति।

मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश निष्पक्ष एवं मुआवजा तथा भूमि अधिग्रहण में पारदर्शिता, पुनर्वास एवं पुनरस्थापन (मुआवजा, पुनर्वास एवं पुनरस्थापन एवं विकास योजना) अधिकार नियम, 2016 बनाने को स्वीकृति प्रदान की।

राज्य सरकार ने आरम्भ किए पर्यावरण लीडरशिप अवार्ड

शिमला/रीना

राज्य सरकार ने 'हिमाचल प्रदेश पर्यावरण लीडरशिप अवार्ड' आरम्भ किए हैं। ये पुरस्कार सफल पहल कर पर्यावरण संरक्षण एवं सत्त विकास के प्रोत्साहन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्य के संस्थानों/व्यक्तिगत तौर पर विभिन्न श्रेणियों में प्रत्येक वर्ष प्रदान किए जाएंगे। इन पुरस्कारों की घोषणा प्रत्येक श्रेणी के लिए विशेषज्ञों के पैनल द्वारा प्रस्तावों/आवेदनों/संस्तुतियों की सूक्ष्म जांच पड़ताल के उपरान्त की जाएगी। चिन्हित श्रेणियों में एक अथवा एक से अधिक पुरस्कार की अनुशंसा का निर्णय स्क्रीनिंग/चयन समिति द्वारा लिया जाएगा।

प्रशस्ति पत्र के साथ ट्रॉफी सहित प्रथम पुरस्कार 50 हजार रुपये तथा द्वितीय पुरस्कार 25 हजार रुपये का होगा।

राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि इस पुरस्कार के शुरू होने से विभिन्न क्रियाशील क्षेत्रों में एक जिम्मेवार बदलाव सुनिश्चित होगा। इससे हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण के रूप में सत्त संस्थागत व्यवस्था के विकास में मद्द मिलेगी।

वार्षिक हि.प्र. पर्यावरण लीडरशिप पुरस्कार नगर ठोस कचरा प्रबन्धन में स्थानीय शहरी निकाय की दक्षता, जैव चिकित्सा कचरा प्रबन्धन में अस्पताल, होटल/रिजार्ट, पाठशालाओं के अलावा अन्य शैक्षणिक संस्थान, पाठशालाएं, कार्यालय परिसर, उद्योग, पंचायत, आवासीय कल्याण समिति/आवास, रेस्तरां, बस अड्डा तथा रेलवे स्टेशन/हवाई अड्डा जैसी 10 श्रेणियों के लिए प्रदान किए जाएंगे।

आवेदकों को संलग्कों तथा सहायक सामग्री सहित आवेदन पत्र सीडी अथवा पैन ड्राईव में एक साफ्ट प्रति तथा अंग्रेजी में ए-4 आकार के पेपर पर टाईप कर एक स्पायरल बांड प्रति को निदेशक पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण भवन, समीप यूएस क्लब, शिमला-171001 को प्रेषित करना होगा।

शैल समाचार संपादक मण्डल

संपादक - बलदेव शर्मा

सयुक्त संपादक - जे.पी.भारद्वाज

विधि सलाहकार - ऋचा

अन्य सहयोगी

भारती शर्मा

रजनीश शर्मा

राजेश ठाकुर

सुदर्शन अवस्थी

सुरेन्द्र ठाकुर

रीना

भारी बर्फबारी ने खोली सरकार और प्रशासन की पोल

शिमला/भारती शर्मा

शिमला में शुक्रवार रात और शनिवार को भारी बर्फबारी के कारण शहर में पेड़ो के बिजली की तारों व खम्बों पर गिरने से शहर में बिजली व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। शुक्रवार रात 11 बजे से शहर में बिजली गुल है। यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है रविवार तक शहर में सभी बस सेवायें बंद दिखी। सड़कों पर लोग पैदल चलते नजर आये। भारी संख्या में पर्यटक इस बर्फबारी का आन्नद लेने शिमला पहुंच रहे हैं। इस भारी बर्फबारी से शहर मे जनजीवन अस्त-वयस्त हो गया है पानी की समस्या से जुझ रहा शिमला शहर पानी के लिये फिर तरस रहा है। बिजली पानी न होने की बजह से शहर के होटल और दुकानदार परेशान हैं। मौसम विभाग की चेतावनी के बावजुद भी सरकार और प्रशासन सोये रहे जिसके कारण शहर को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। शहर में हुई इस बर्फबारी से हये नकसान की

103 टनल के पास

रेलवे स्टेशन के पास

CTO पर बने नये हवाघर पर गिरा पेड़

प्रदेश में चल रही 500 करोड़ रुपये की कौशल भत्ता योजना

शिमला/जे पी भारद्वाज

मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के निदेशक मण्डल की तीसरी बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि युवाओं को अधिक से अधिक स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए बेकरी उत्पाद, ब्यूटी पार्लर,नाई, पलम्बर, इलैक्ट्रिशियन, आरा मशीन, बैल्डर, फीटर तथा टायर पेंचर आदि जैसे अल्प अवधि व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान करने पर बल दिया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि निगम को बद्दी में स्थापित टूल रूम की तरह प्रदेश

के अन्य भागों में भी टूल रूम स्थापित करने चाहिए, ताकि बेरोजगार युवाओं को उद्योग की मांग के अनुरूप प्रशिक्षित किया जा सके। उन्होंने कहा कि 8 प्रशिक्षण प्रदाताओं के स्थान पर निगम के अधिकारियों को और अधिक औद्योगिक घरानों के साथ समझौता करना चाहिए, ताकि युवाओं को बेहतर प्रशिक्षण मिल सके और प्रशिक्षण पूरा होते ही उन्हें रोजगार भी उपलब्ध हों।

वीरभद्र सिंह ने अल्प अवधि प्रशिक्षण पर बल देते हुए कहा कि इससे युवाओं को पाठयक्रम पूरा होते ही रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि आतिथ्य क्षेत्र में 'रोजगार के साथ प्रशिक्षण' एक अच्छा विकल्प हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण इस प्रकार होना चाहिए कि युवाओं को ऐसा प्रशिक्षण मिल सकें कि वे अतिथियों को बेहतर सेवाएं प्रदान कर सकें।

बैठक में यह भी बताया गया कि प्रदेश में पहले ही 500 करोड़ रुपये की कौशल भत्ता योजना चलाई जा रही है, जिसके अन्तर्गत 1,51,708 युवाओं को 1,09,37,41,854 रुपये का भत्ता प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि इन दोनों योजनाओं का मुख्य उद्देश्य युवाओं का कौशल विकास करना है, ताकि उन्हें रोजगार तथा स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें। बैठक में यह भी बताया गया कि कौशल विकास भत्ता योजना के अन्तर्गत वर्ष 2013 में 42,077, वर्ष 2014 – 15 में 31,689, वर्ष 2015 – 16 में 40,532 तथा वर्तमान वर्ष में नवम्बर, 2016 तक 37,410 युवाओं का कौशल विकास भत्ता योजना के अन्तर्गत पंजीकरण हुआ है।

बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि ऐसे युवाओं के कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए, जो अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं और रोजगार की तलाश में हैं।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में मौजूदा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को स्तरोन्नत करने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि इन संस्थानों को आधुनिक उपकरणों से लैस करना निगम की प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित बनाया जाना चाहिए कि प्रदेश में स्थापित उद्योग कम से कम 70 प्रतिशत रोजगार हिमाचली युवाओं को दें।

वीरभद्र सिंह ने शिमला में कौशल दक्षता केन्द्र की स्थापना के लिए भूमि के चयन में हो रहे विलम्ब पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि इसके लिए 10 दिनों के भीतर भूमि चिन्हित की जाए। उन्होंने क्षेत्रीय अधिकारियों को मोबाईल के बिलों के भुगतान को भी स्वीकृति प्रदान की।

परिवहन एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री जी.एस. बाली ने भी निगम की गतिविधियों में तेजी लाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि निगम को स्वस्थ्य देखभाल, परचून, जैव – विज्ञान तथा कपड़ा उद्योग जैसे व्यवसाय में प्रशिक्षण के स्थान पर भारी वाहन के चालक, क्रेन, वैल्डिंग जैसे व्यवसायों में प्रशिक्षण पर बल देना चाहिए, जिसमें उन्हें रोजगार मिल सकता है।

उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने फार्मा क्षेत्र में प्रशिक्षण पर बल दिया। उन्होंने कहा कि अल्प अवधि प्रशिक्षण पाठयक्रम उद्योग की मांग के अनुरूप होने चाहिए, ताकि युवाओं को प्रशिक्षण पूरा होते ही रोजगार मिल सके।

कौशल विकास निगम के प्रबन्ध निदेशक राजेश शर्मा ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि निगम को आगामी शैक्षणिक सत्र से प्रदेश के 12 महाविद्यालयों में व्यावसायिक पाठयक्रम आरम्भ करने की स्वीकृति प्राप्त हुई हैं। उन्होंने निगम द्वारा करवाए गए एक सर्वेक्षण पर प्रस्तुति भी दी।

प्रदेश के 18 कॉलेजों में अंबानी का 'जियो' फ्री वाईफाई शुरू

शिमला/जे पी भारद्वाज

प्रदेश के 18 सरकारी कॉलेजों में अंबानी के रिलायंस जियो के फ्री वाईफाई सुविधा मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने शुरू की। रिलायंस जियो कॉलेज

परिसरों को डिजिटल बनाने के लिए राज्य के 30 राजकीय महाविद्यालयों में निःशुल्क वाईफाई सुविधा प्रदान करेगा। अगले चरण में जियो द्वारा 12 और महाविद्यालयों को वाईफाई सुविधा से जोड़ा जाएगा।

जिन कॉलेजों को अंबानी के जियो की वाईफाई सुविधा से जोड़ा गया है उनमें राजकीय महाविद्यालय सोलन, हमीरपुर, सुजानपुर, नालागढ़, रामपुर बुशैहर, राजकीय डिग्री कॉलेज संजौली, ठियोग, शाहपुर, नगरोटा बगवां, पालमपुर, घुमारवी,चौड़ा मैदान(कोटशेरा), नाहन, एमएलएसएम कॉलेज सुन्दरनगर व हरिपुर के अलावा शिवालिक नरसिंग संस्थान कमलानगर तथा आरकेएमवी शिमला शामिल हैं।

सुविधा की शुरूआत करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल जियो द्वारा प्रदान की गई तीव्र गति वाई फाई से जिला मुख्यालयों को जोड़ने वाला हिमाचल देश के अग्रणी राज्यों में एक है। उन्होंने कहा कि विकास अधूरा है यदि यह शिक्षण संस्थानों तक नही पहुंचता है। जिसके लिए उन्होंने विद्यालयों को और अधिक अध्ययन सुविधाएं प्रदान करने के अलावा उन्हें अनुसंधान एवं संदर्भ कार्यों में सहायता करने की आवश्यकता पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यालयों को नई तकनीकी तथा अधोसंरचना से सशक्त बनाकर देश को विकसित करने में भी मदद मिलेगी।

राज्य प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने किया 8502 मामलों का निपटारा

शिमला/ऋचा

हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने 8502 मामलों का निपटारा किया, जिनमें 7484 नए मामले और 1018 मामले उच्च न्यायालय से प्राप्त हैं। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने 28 फरवरी, 2015 को कार्य आरम्भ किया था और वर्तमान में इसकी दो डिविजन बैंचिज कार्य कर रही है।

हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में 31 दिसम्बर, 2016 तक कुल 20420 दायर किए गए, जिनमें 14032 नए मामले और 6388 मामले हि.प्र. उच्च न्यायालय से स्थानांतरित हैं।

ट्रिब्यूनल ने इस अवधि के दौरान 141 अवमानना याचिकाएं, 12 समीक्षा याचिकाएं, सात एक्स याचिकाएं और 3883 विविध आवेदनों का भी निपटारा किया गया है। ट्रिब्यूनल ने 2009 से पहले के पुराने मामलों का प्रत्येक मंगलवार, बुधवार, वीरवार और शुक्रवार को प्राथमिकता के आधार पर निपटारा करने का निर्णय लिया है ताकि लंम्बित मामलों को निपटाया जा सके।

रेगुलर टीचर SMC टीचरों की जगह नहीं होंगे ट्रांसफर: मुख्यमंत्री

शिमला/भारती शर्मा

मुख्यमंत्री वीरभद्र ने स्कूल प्रबंधन कमेटी की ओर से नियुक्त किए गए अध्यापकों की जगह नियमित अध्यापकों को ट्रांसफर नहीं किया जा सकेगा। ये एलान मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने स्कूल प्रबंधन समिति की ओर से नियुक्त किए

गए टीचरों की की एसोसिएशन की ओर से आयोजित सम्मेलन में किया।एसएमसी अध्यापक एसोसिएशन ने इस सम्मेलन का आयोजन किया था।

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि एसएमसी के माध्यम से नियक्त अध्यापकों के लिए एक नीति बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य के कठिन एवं जनजातीय क्षेत्रों में इन अध्यापकों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं के दृष्टिगत इन्हें नियमित अध्यापकों द्वारा इनके तैनाती स्थान से प्रतिस्थापित नहीं किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि अध्यापकों की अन्य जायज मांगे उनके साथ विचार – विमर्श कर पूरी की जाएंगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि एसएमसी अध्यापकों के लिए अवकाश कैलेंडर तैयार करने का मामला शीघ्र सुलझाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि एसएमसी अध्यापक एसोसिएशन कांग्रेस सरकार के दिमाग की उपज है, जिसके पीछे सरकार का मकसद यह सुनिश्चित बनाना रहा है कि राज्य के जनजातीय तथा दूर – दराज के क्षेत्रों में कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे।

इस मौके पर राज्य युवा कांग्रेस के अध्यक्ष व सीएम के पुत्र विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि एसएमसी अध्यापकों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल के दौरान राज्य के दूर – दराज तथा जनजातीय क्षेत्रों में, जहां नियमित अध्यापक जाने में इच्छुक नहीं थे, में एसएमसी अध्यापकों की नियुक्ति के लिए एक योजना तैयार की थी। एसएमसी अध्यापकों ने इन क्षेत्रों में बच्चों को शिक्षा प्रदान करने में अपनी भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि सरकार पैरा अध्यापकों, पैट, कम्प्यूटर अध्यापकों, पीटीए तथा एसएमसी अध्यापकों की समस्याओं को लेकर गंभीर है। उन्होंने कहा कि आउटसोर्स कर्मियों के लिए अनुबंध नीति तैयार करने तथा उन्हें नियमित कर्मचारियों के रूप में समाहित करने का सरकार का एक साहसी निर्णय है।

उन्होंने एसएमसी अध्यापकों के मानदेय में वृद्धि तथा उनके स्थान पर नियमित अध्यापकों द्वारा कार्यग्रहण पर उन्हें मौजूदा नियुक्ति स्थान से न हटाने की मांग का भी समर्थन किया।

इससे पूर्व, एसएमसी के अध्यक्ष अनिल पीतान ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया तथा उन्हें सम्मानित किया। लगभग 4000 एसएमसी अध्यापकों की ओर से एसोसिएशन ने एसएमसी अध्यापकों के लिए एक स्थाई नीति तैयार करने तथा उन्हें नियमित अध्यापकों के कार्यग्रहण पर न हटाने के अलावा मानदेय तथा अवकाश अवधि में वृद्धि की मांग की।

राज्य सरकार ने बजट के लिए आम जनता से मांगे सुझाव

शिमला/भारती शर्मा

राज्य सरकार ने वर्ष 2017 – 18 के लिए राज्य बजट पर आम जनता, उद्योगों, व्यापारियों तथा कृषक संगठनों से सुझाव आमंत्रित किए हैं।

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) डॉ. श्रीकांत बाल्दी ने कहा कि राज्य बजट के निर्माण की प्रक्रिया आरम्भ हो चुकी है। बजट को और अधिक लोक केंद्रित व सहभागी बनाने तथा समाज के विभिन्न हितधारकों के विचारों को इसमें सम्मिलित करने के लिए सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं।

बजट/वार्षिक योजना के लिए सुझाव वित्त बजट के वेब पोर्टल finsecy_hp@nic-in पर ई – मेल अथवा हिमाचल प्रदेश सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त को पत्र के माध्यम से 21 जनवरी, 2017 तक भेजे जा सकते हैं।

डॉ. बाल्दी ने कहा कि आम जनमानस के लिए सेवाएं प्रदान करने तथा गरीब लोगों को लाभान्वित करने संबंधी नीतियों के संबंध में समस्त उपायुक्तों को भी विचार एवं सुझाव देने के निर्देश दिए गए हैं। उन्हें आम जनता के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने वाली गतिविधियों के अलावा स्वरोजगार के लिए नई योजनाएं एवं कार्यक्रमों के प्रस्तावों पर भी सुझाव देने को कहा गया है।

उद्योग विभाग के निदेशक तथा आबकारी एवं कराधान आयुक्त को भी आगामी बजट के लिए सुझावों के लिए उद्योगों तथा व्यापारिक संगठनों को शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं।

कृषि तथा बागवानी विभागों के निदेशकों को भी मामला कृषक संगठनों से उठाकर उनके सुझाव प्राप्त करने को कहा गया है।

सात घनघोर पाप:काम के बिना धन, अंतरात्मा के बिना सुख, मानवता के बिना विज्ञान, चरित्र के बिना ज्ञान, सिद्धांत के बिना राजनीति, नैतिकता के बिना व्यापार, त्याग के बिना पूजा......महात्मा गांधी

सम्पादकीय

क्या कालेधन का आंकड़ा जारी होगा

2014 के लोक सभा चुनावों की तैयारीयों के दौरान तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने उस समय एक स्ट्रैटेजिक एकशन कमेटी का गठन किया था। उस कमेटी का अध्यक्ष डा0 सुब्रमण्यम स्वामी को बनाया गया। उस कमेटी में डा0 स्वामी के अतिरिक्त रा, सैन्य खुफिया विभाग और आई वी आदि के सेवानिवृत अधिकारी शामिल थे। उस कमेटी ने यह पाया था कि देश में जाली नोट एक बड़ी समस्या बन चुके हैं और इस समस्या से निपटने के लिये नोटबंदी ही एक कारगर कदम हो सकता है। आज नोटबंदी का फैंसला उसी कमेटी की सिफारिशों का परिणाम है। नोटबंदी से पहले स्वैच्छा से आय घोषणा योजना लायी गयी। यह सारे कदम कालेधन और जाली करंसी के चलन को बन्द करने के लिये उठाये गये है। सिद्धान्त रूप से इस पर कोई दो राय नहीं हो सकती कि इन समस्याओं से निपटने के लिये इससे बेहतर और कोई कदम नहीं हो सकता था। राजनाथ सिंह द्वारा पार्टी के अन्दर ऐसी कमेटी का गठित किया जाना डा0 स्वामी ने एक साक्षात्कार में स्वीकार किया है।

इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि पार्टी के भीतर जब इस तरह की चर्चा एक कमेटी के रूप मे रह चुकी है जिस पर अब अमल किया गया है। तो निश्चित है कि सरकार के पास इस फैंसले को सफल बनाने के प्रयास करने के लिये पर्याप्त समय था। लेकिन जिस ढंग से इस पर अमल किया गया है उससे यह भी स्पष्ट हो गया है कि इस दिशा मे तैयारियों में भारी कमी रही है। तैयारीयों की कमी ही विपक्ष का आरोप है और इसी कमी के कारण इसके घोषित वांच्छित परिणाम मिलने पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। क्योंकि नयी करंसी अभी 8 नवम्बर के बाद बाजार में बैंको में आयी है लेकिन इसी के साथ जाली करंसी फिर बाजार में आ गयी और पकड़ी गयी है। कालाधन पांच सौ और हजार के नोटों के रूप में लोगों ने जमा कर रखा था यह धारणा थी लेकिन आज नयी करंसी में भी करोड़ो लोगों के पास छापो में मिला है। कालेधन और जाली नोटों का आतंकी गतिविधियों मे प्रयोग होता था यह भी धारणा थी। नोटबंदी के बाद आंतकी घटनाओं में कुछ कमी अवश्य आयी है लेकिन यह कितने दिनों तक बनी रहेगी कहना कठिन है क्योंकि कालाधन और जाली नोट नयी करंसी में भी सामने आ गये हैं।

नोटबंदी से पैदा होने वाली कठिनाईयां पचास दिन बाद समाप्त हो जायेंगी। इस वायदे के साथ प्रधानमन्त्री ने देश की जनता से पचास दिन का समय मांगा था। अब यह समय पूरा हो गया है लेकिन अभी भी बैंको से निकासी की सीमा चौबीस हजार ही है। यह सीमा कब बढ़ती है कितनी बढ़ती है आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। मंहगाई में कितनी और कब कमी आती है अभी यह स्पष्ट नही हो पा रहा है क्योंकि नोटबंदी के बाद पैट्रोल और डीजल की कीमतें दो बार बढ़ गयी है। इसलिये कीमतों के कम होने की संभावना नही के बराबर है। लेकिन कालाधन धारकों के खिलाफ कारवाई का जो वायदा किया गया था उसके परिणाम कब सामने आते है अब जनता को इसका इन्तजार है। पांच सौ और एक हजार के नोटों के रूप में 15.3 लाख करोड़ की करंसी बाजार में होने के आंकड़े सामने आये है। नोटबंदी की घोषणा के बाद 8 नवम्बर से इन नोटों का चलन बन्द हो गया। 8 नवम्बर के बाद बैकों से किसी को पुराना नोट जारी नहीं हुआ यह स्पष्ट है। इसके बाद पुराना नोट या तो बैक में आकर बदला गया या फिर खाते में जमा किया गया। 30 दिसमबर तक 15 – 16 लाख करोड़ के पुराने नोट बैंकों में वापिस आने का अनुमान है। इसका अधिकारिक आंकडा अभी तक जारी नही हुआ है। 27 दिसम्बर तक यह आंकडा 11.5 लाख करोड़ का रहा है। अब जब इतनी संख्या में यह पुराने नोट बैंक में वापिस आ गये हैं तो स्पष्ट है कि इसी में कालाधन और जाली नोट भी शामिल है जो आंकडे चर्चा मे हैं उनके मुताबिक 1.5 से 2 लाख करोड़ के करीब जाली नोट है। यह आंकडे जो भी रहे हो इसमें महत्वपूर्ण यह है कि बैंको के पास जो भी पुराने नोट वापिस आये है वह सारा कैश लोगों के घरों में मौजूद था। अब यह सारा पैसा वापिस आ गया है तो पहचान करना आसान होगा कि इसमें से कितना कालाधन है और किसका है। क्योंकि यह पैसा बैंक में तो था नहीं घरों में था। घरों में इतना कैश इसलिये था क्योंकि इस पर टैक्स नही दिया गया था और टैक्स न देने के कारण कालाधन था। किसके पास टैक्स की सीमा से ज्यादा पैसा था इसकी पहचान करके यदि उसे सजा नही दी जाती है तो फिर प्रधानमन्त्री पर से लोगों का विश्वास समाप्त हो जायेगा। क्योंकि जब कालेधन वाले को सजा ही नही मिलेगी तो फिर उसके खिलाफ कारवाई क्या हुई क्योंकि यदि सही मायनों में कालेधन को समाप्त करना है तो यह देश के सामने लाना होगा कि सोने और अचल संपत्ति के रूप मे किसके पास क्या है।

अब जो विधान सभा चुनाव होने जा रहे हैं तो कालेधन पर की गयी कारवाई के असर की परीक्षा होगी। कौन सा राजनीतिक दल और कौन सा प्रत्याक्षी कितना खर्च करता है और यह खर्च कितना डिजिटल या चैक से होता है क्योंकि निकासी की सीमा चौबीस हजार रहने से एक माह में केवल 96000 ही बैंक से मिल सकता है चाहे वो पार्टी हो या प्रत्याक्षी और इतने से चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है। यह चुनाव आयोग और सरकार के लिये भी कड़ी परीक्षा होगा।

औद्योगीकरण ने खोले रोजगार के द्वार

हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य में प्रदूषण – मुक्त, स्थानीय कच्चे माल पर आधारित तथा रोज़गार सृजन की अधिक क्षमता वाले उद्योगों को व्यापक प्रोत्साहन दे रही है। प्रदेश में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम एवं प्रभावी योजना अपनाई जा रही हैं। प्रदेश में ऐसे औद्योगिक क्षेत्र चिन्हित व विकसित किए जा रहे है, जहां अत्याधुनिक अधोसरंचना सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सके। कृषि आर्थिकी पर निर्भर करता है। लेकिन, औद्योगिक विकास राज्य में बेरोज़गारी की समस्या को काफी हद तक कम करने में सहायक है। प्रदेश में औद्योगिकीकरण से न केवल लोगों की आर्थिकी में सुधार आया है, बल्कि युवाओं को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हुए हैं।

प्रदेश में निवेश आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार ने 'निमंत्रण से निवेश' की नीति अपनाई है। इसके लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय दल ने मुम्बई, बंगलूरू, अहमदाबाद व दिल्ली में प्रदेश में निवेश

आकृषित करने हेतु (एमर्जिंग हिमाचल) के अंतर्गत ''इन्वैस्टर मीट'' का आयोजन किया गया जिसमें प्रतिष्ठित औद्योगिक घरानों के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त, उद्योग विभाग में 'निवेश प्रोत्साहन प्रकोष्ठ' का गठन किया गया है।

प्रदेश सरकार के इन प्रयासों के सुखद परिणाम आए हैं। गत चार वर्षों में प्रदेश में 3659 औद्योगिक इकाईयॉ स्थापित हुई जिसमें 3581.48 करोड़ का पूंजी निवेश हुआ व 48422 लोगों को रोजगार मिला है। इसके अतिरिक्त एकल खिड़की प्रणाली के अन्तर्गत गत चार वर्षों में 283 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया, जिनमें 13262.27 करोड़ के पूंजी निवेश के साथ लगभग 26680 व्यक्तियों को रोजगार मिलने की सम्भावना है। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के बेहतर कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप युवाओं को 7054 रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। इसके अन्तर्गत युवाओं को अपने स्वरोजगार के अवसर आरम्भ करने के लिए 23.93 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए गए हैं।

निवेशकों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रदेश के ऊना, कांगड़ा तथा सोलन जिलों में तीन अत्याधुनिक औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं। इन औद्योगिक क्षेत्रों में निवेशकों को सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। कांगड़ा ज़िला के कंदरौड़ी में 88.05 करोड़ रुपये व्यय कर औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है, जबकि ऊना ज़िले के पंडोगा में 95.77 करोड़ रुपये की लागत से औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है।

जिला सोलन के बददी में 100 बीघा भूमि पर भटोलीकलां गांव में 102 करोड़ रूपये की लागत से टैक्नोलॉजी केन्द्र की स्थापना की जा रही है। इससे लघु, सुक्ष्म व मध्यम उद्योग को तकनीकी सहायता एवं अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी। प्रदेश से निर्यात प्रोत्साहित करने के लिए बदद्दी में कन्टेनर पार्किंग सुविधा हेतु कुल 14.42 करोड़ की लागत से इनलैंड कन्टेनर डिपू का निर्माण किया गया है। इसके अलावा, बददी में 10.81 करोड़ रुपये की लागत से व्यापार केन्द्र तथा 26.89 करोड़ रुपये की लागत से वेयर हाउस का निर्माण किया गया है। इसी प्रकार सोलन जिले के नालागढ़ में 2.11 करोड़ रुपये की लागत से एक कॉमन फैसिलिटी केन्द्र का निर्माण भी किया गया है।

बददी में औद्योगिक कचरे के सुरक्षित प्रबंधन व निपटारे हेतु 53.80 करोड़ रुपये की लागत से कचरा प्रबन्धन संयंत्र स्थापित किया गया है, जिसकी क्षमता 25 एम.एल.डी. है। संयत्र ने प्रभावी ढंग से कार्य करना आरम्भ कर दिया है। बददी में औद्योगिक श्रमिकों व बेरोज़गार युवाओं के कौशल विकास व संवर्धन हेतु 8.10 करोड़ रुपये की लागत से कौशल विकास केन्द्र की स्थापना की गई है। इसके अलावा, बददी में 12 करोड़ रुपये की लागत से कामकाजी पुरूष छात्रावास तथा ऊना जिले के बाथु में 4.46 करोड़ रुपये की लागत से लेबर होस्टल का निर्माण किया गया है।

प्रदेश सरकार द्वारा उद्यमियों को रियायती दरो पर बिजली मुहैया कराने के उदेश्य से निर्धारित एक्सट्रा हाई टैंशन (ईएचटी) श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए विद्युत शुल्क को वर्तमान 17 प्रतिशत से घटाकर 13 प्रतिशत करने की, ईएचटी श्रेणी को छोड़कर, वर्तमान में स्थापित मध्यम तथा बड़े उद्योगों के लिए विद्युत शुल्क को वर्तमान दर को 15 – 17 प्रतिशत से घटाकर 11 प्रतिशत करने की, लघु उद्योगों के लिए विद्युत शुल्क को वर्तमान दर को 9 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत तथा नए उद्योगों के लिए 5 वर्षों तक केवल एक प्रतिशत की दर से विद्युत शुल्क के भुगतान की घोषणा की गई है। ईएचटी श्रेणी सहित किसी भी नये उद्योग, जो 300 से अधिक हिमाचलियों को रोज़गार प्रदान कर रहा है, से 5 वर्षों तक केवल एक प्रतिशत की दर से विद्युत शुल्क वसूला जा रहा है। इसके अतिरिक्त, नये निवेश पर उद्यमियों से ''सेल डीड व लीज डीड'' पर स्टॉप डयूटी में 50 प्रतिशत की छूट दी गई है।

प्रदेश सरकार ने उद्यमियों की सुविधा के लिए तथा राज्य में नवाचार उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए 'मुख्यमंत्री स्टॉट – अप योजना' का शुभारम्भ किया गया है। इसके अन्तर्गत, प्रदेश में सभी नए उद्यमों को केवल स्व:स्त्यापित दस्तावेज ऑनलाईन अथवा व्यक्तिगत रूप से जमा करवाने होंगे। यही नही, 100 हिमाचलियों को रोजगार प्रदान करने वाले उद्योगों को औद्योगिक क्षेत्रों में नियायती दरों पर भूमि उपलब्ध करवाई जाएगी।

सामान्यत: यह पाया गया है कि अधिकांश रोजगार 25 लाख रुपये के निवेश वाले सूक्षम उद्योगों द्वारा प्रदान किया जाता है। अत: राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि कम से कम 5 लोगों को रोजगार प्रदान करने वाली ऐसी सभी छोटी औद्योगिक इकाईयों को जिन्होंने 10 लाख रुपये तक का ऋण लिया है, को तीन वर्षों के लिए ब्याज पर 4 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि नए उद्योगों को भूमि के पंजीकरण के लिए केवल तीन प्रतिशत की दर से स्टॉप शुल्क वसूला जाएगा।

प्रदेश सरकार के इन प्रयासों से हिमाचल प्रदेश तेजी से निवेशकों का पसंदीदा निवेश स्थल बन कर उभरा है, जिससे न केवल प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि हुई है, बल्कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर भी खुले हैं।

उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति

'अनूप कुमार भटनागर'

उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग गठित करने के लिये बनाया गया कानून और इससे संबंधित 99वां संविधान संशोधन उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा निरस्त किये जाने के बावजूद यह अभी भी चर्चा का विषय बना हुआ है।

संसद द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन का प्रावधान करने संबंधी कानून और 99वें संविधान संशोधन की संवैधानिकता को न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने अक्तूबर, 2015 में असंवैधानिक करार दिया था।

इस संविधान संशोधन को असंवैधानिक करार देने के निर्णय के समय से ही संविधान संशोधन की वैधता जैसे मुद्दों पर सुनवाई करने वाली संविधान पीठ में न्यायाधीशों की संख्या को लेकर दबे स्वर में चर्चा चल रही थी।

इसी बीच, संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान आनंद शर्मा की अध्यक्षता वाली कार्मिक, लोक शिकायत और विधि एवं न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति द्वारा पेश रिपोर्ट में राय व्यक्त की गयी है कि किसी भी संविधान संशोधन की वैधता से जुड़े मामलों की सुनवाई उच्चतम न्यायालय की कम से कम 11 सदस्यीय न्यायाधीशों की पीठ को करनी चाहिए।

संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह भी सिफारिश की है कि संविधान के निर्वचन से जुड़े मामलों की सुनवाई भी उच्चतम न्यायालय के कम से कम सात न्यायाधीशों की पीठ को ही करनी चाहिए।

समिति ने रिपोर्ट में इस बात का विशेष रूप से जिक्र किया है कि 99वां संविधान संशोधन अधिनियम लोक सभा ने सर्वसम्मति से तथा राज्यसभा ने लगभग सर्वसम्मति, एक विसम्मति, वोट से पारित किया था। इस अधिनियम को उच्चतम न्यायालय के पांच न्यायाधीशों की पीठ ने 4:1 के आधार से खारिज कर दिया।

संविधान संशोधन और संविधान निर्वचन की वैधता से संबंधित मामले की सुनवाई करने वाली उच्चतम न्यायालय की पीठ के सदस्य न्यायाधीशों की संख्या 11 और 7 करने के संबंध में समिति ने अपने तर्क भी दिये हैं।

समिति ने रिपोर्ट में इस तथ्य को नोट किया, ''संविधान के अधिनियमन के दौरान उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या केवल सात थी और संविधान के तहत संविधान के निर्वचन से जुड़े किसी मामले के विनिर्णय अथवा अनुच्छेद 143 के तहत संदर्भित मामले में न्यूनतम पांच न्यायाधीशों वाली न्यायपीठ का गठन होता था।'' रिपोर्ट में आगे कहा गया है, ''अब जबकि न्यायाधीशों की संख्या 31 हो गयी है तो समिति की राय है संविधान संशोधन की वैधता से जुड़े मामलों को उच्चतम न्यायालय के न्यूनतम 11 सदस्यीय न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सुना जाना चाहिए।''

यह सही है कि न्यायाधीशों की नियुक्तियों के लिये आयोग गठित करने संबंधी कानून और संविधान

संशोधन की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओ पर पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने सुनवाई की थी।

इस संविधान पीठ ने न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के इरादे से सरकार को इससे संबंधित प्रक्रिया के लिए ज्ञापन तैयार करने का निर्देश दिया था जिसे वर्तमान प्रक्रिया में पूरक का काम करना था। यही नहीं, न्यायालय ने सरकार को प्रधान न्यायाधीश की सलाह से ही न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित मौजूदा प्रक्रिया के ज्ञापन को अंतिम रूप देने का भी निर्देश दिया था।

इसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में कोलेजियम के मार्ग-निर्देशन के लिये पात्रता का आधार और न्यूनतम आयु का निर्धारण, नियुक्ति की प्रक्रिया में पारदर्शिता के बारे में सुझाव, सचिवालय की व्यवस्था और शिकायतों के निदान की व्यवस्था करना आदि शामिल थे। लेकिन सरकार द्वारा भेजे गये प्रक्रिया ज्ञापन को अभी तक अंतिम रूप नही दिया जा सका है।

यह प्रक्रिया ज्ञापन प्रधान न्यायाधीश के पास अगस्त से लंबित है। एक अवसर पर निवर्तमान प्रधान न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर ने गत वर्ष सितंबर में दावा किया था कि सरकार के साथ इस मामले में सारे मतभेद दो सप्ताह के भीतर सुलझा लिये जायेंगे।

समिति इस बात पर व्यथित थी, ''प्रक्रिया ज्ञापन को अंतिम रूप दिये जाने के संबंध में कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच गतिरोध बना हुआ है और इसके परिणामस्वरूप संवैधानिक न्यायालयों में रिक्त पदों को भरने में देरी हो रही है और न्याय प्रशासन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है।''

यही नहीं, रिपोर्ट में कहा गया है, ''समिति आशा करती है कि दोनों पक्ष व्यापक लोकहित के मद्देनजर जल्द ही अपने गतिरोध को दूर कर लेंगे तथा न्याय प्रशासन को इससे प्रभावित नहीं होने देंगे।''

चूंकि संसदीय समिति की यह सिफारिश राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित 99वें संविधान संशोधन को असंवैधानिक घोषित करने के उच्चतम न्यायालय के पांच न्यायाधीशों की पीठ के फैसले के संदर्भ में की है, इसलिए न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया से जुड़े अब तक के अन्य मसलों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

विदित हो कि न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित मुद्दे का सवाल है तो सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकार्ड एसोसिएशन बनाम भारत सरकार मामले में न्यायमूर्ति एस आर पांडियन की अध्यक्षता वाली उच्चतम न्यायालय के सात न्यायाधीशों की पीठ ने अक्तूबर 1993 में ही अपना फैसला सुनाया था।

इस पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति ए एम अहमदी, न्यायमूर्ति जे एस वर्मा, न्यायमूर्ति एम एम पुंछी, न्यायमूर्ति योगेश्वर दयाल, न्यायमूर्ति जी एन रे और न्यायमूर्ति डा ए एस आनंद शामिल थे। इस प्रकरण में आई व्यवस्था को न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में उच्चतम न्यायालय के द्वितीय निर्णय के रूप में जाना जाता है।

इस निर्णय के परिप्रेक्ष्य में तत्कालीन राष्ट्रपति के माध्यम से सरकार ने इससे जुडे कुछ सवालों पर संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत 23 जुलाई 1998 को उच्चतम न्यायालय से राय मांगी थी।

न्यायमूर्ति एस पी भरूचा की अध्यक्षता वाली उच्चतम न्यायालय की नौ सदस्यीय संविधान पीठ ने 28 अक्तूबर, 1998 को इन सवालों पर अपनी राय दी थी। इस संविधान पीठ ने न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में नौ बिन्दुओं को प्रतिपादित किया था।

राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के पास राय के लिये भेजे गये सवालों पर विचार करके राय देने के लिये गठित इस नौ सदस्यीय संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति एम मुखर्जी, न्यायमूर्ति एस मजमूदार, न्यायमूर्ति सुजाता वी मनोहर, न्यायमूर्ति जी नानावती, न्यायमूर्ति एस एस अहमद, न्यायमूर्ति के वेंकटस्वामी, न्यायमूर्ति बी एन किरपाल और न्यायमूर्ति जी पटनायक शामिल थे।

इन फैसलों के परिप्रेक्ष्य में संविधान संशोधन और संविधान निर्वचन की वैधता से संबंधित मामलों की सुनवाई करने वाली संविधान पीठ के सदस्य न्यायाधीशों की संख्या के बारे में संसदीय समिति की इस रिपोर्ट में की गयी यह सिफारिश महत्वपूर्ण है।

अब देखना यह है कि संविधान संशोधन और संविधान निर्वचन की वैधता से संबंधित मामले की सुनवाई 11 न्यायाधीशों की पीठ और सात सदस्यीय न्यायाधीशों की पीठ द्वारा करने संबंधी सिफारिश के साथ संसद में पेश संसदीय समिति की रिपोर्ट पर सरकार क्या दृष्टिकोण अपनाती है। -पसूका-

न्यायमूर्ति जे एस खेहर बने भारत के 44वें चीफ जस्टिस

नई दिल्ली। न्यायाधीशों की नियुक्ति से जुड़े विवादित राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) कानून को निरस्त करने वाली उच्चतम न्यायालय की पांच न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ का नेतृत्व कर चुके न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर ने भारत के 44वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में बुधवार को शपथ ग्रहण की। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने न्यायमूर्ति खेहर को राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। खेहर ने ईश्वर के नाम पर अंग्रेजी में शपथ ग्रहण की। इस अवसर पर विपक्ष की गैर मौजूदगी चर्चा का विषय बनी रही। पिछले माह तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश टी एस ठाकुर ने उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश यानी न्यायमूर्ति खेहर को अपने बाद इस पद पर नियुक्त किए जाने की सिफारिश की थी। न्यायमूर्ति खेहर का कार्यकाल आठ महीने का होगा। वह 27 अगस्त तक इस पद पर रहेंगे। खेहर सिख समुदाय से ताल्लुक रखने वाले प्रथम प्रधान न्यायाधीश होंगे। जस्टिस खेहर ने जस्टिस टीएस ठाकुर का स्थान लिया है। देश के 43 वें चीफ जस्टिस के तौर पर अपनी सेवाएं देने के बाद जस्टिस टीएस ठाकुर मंगलवार को सेवानिवृत्त हुए है। जस्टिस खेहर के शपथ ग्रहण समारोह में उप राष्ट्रपति हामिद अंसारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा अन्य लोग शामिल हुए।

64 साल के जस्टिस जेएस खेहर का पूरा नाम जगदीश सिंह खेहर है। पंजाब में जन्मे खेहर सितंबर 2011 से सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर अपनी सेवाए दी। जस्टिस खेहर की पहचान सख्त कानूनी प्रशासक के तौर पर है।

एनजेएसी मामले में पीठ की अध्यक्षता करने के अलावा न्यायमूर्ति खेहर उस पीठ की भी अध्यक्षता कर चुके हैं, जिसने अरूणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने को खारिज कर दिया था। 2जी स्कैम मामले में जस्टिस खेहर ने सख्त फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति खेहर उस पीठ के भी सदस्य थे, जिसने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय की दो कंपनियों में लोगों द्वारा निवेश किए गए धन की वापसी से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान रॉय को जेल भेज दिया था। वह नियमित कर्मचारियों जैसे कर्तव्यों का निवर्हन करने वाले दिहाड़ी मजदूरों, अस्थायी एवं अनुबंध कर्मचारियों के लिए 'समान कार्य के लिए समान वेतन' के सिद्धांत की पैरोकारी करने वाला अहम फैसला सुनाने वाली पीठ के भी अध्यक्ष रहे हैं। उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के मुद्दे पर न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच तकरार तेज होने पर 26 नवंबर को संविधान दिवस के मौके

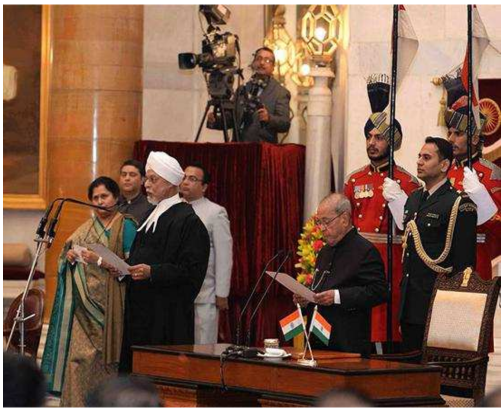

पर न्यायमूर्ति खेहर ने अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी के आक्षेप पर कहा था कि न्यायपालिका अपनी 'लक्ष्मणरेखा' के बीच काम कर रही है।

उन्होंने कहा, 'न्यायपालिका भेदभाव और सरकारी शक्ति के दुरूपयोग से सभी लोगों, नागरिकों और गैर-नागरिकों की समान भाव से रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। देश में न्यायपालिका की अग्र-सक्रिय भूमिका के कारण ही भारत में नागरिकों की स्वतंत्रता, समानता और सम्मान पर्याप्त रूप से समृद्ध बने हैं।'

स्वास्थ्य एवं राजस्व मंत्री ठाकुर कौल सिंह के कारनामें

शिमला/बलदेव शर्मा

राज्पाल ने सरकार के खिलाफ आये भाजपा के आरोप पत्र को अगामी कारवाई के लिये प्रदेश सरकार के सचिवालय को भेज दिया है। सरकार इस पर क्या कारवाई करती है और क्या राज्यपाल इस पर की गयी कारवाई की रिपोर्ट सरकार से मांगते हैं या नहीं इसका खुलासा तो आने वाले दिनों में ही होगा। लेकिन अभी सरकार ने इस आरोप पत्र पर प्रत्यक्षतः गंभीरता ने दिखाते हुए इसे संज्ञान लेने लायक दस्तावेज ही नही माना है। सरकार की इस प्रतिक्रिया का नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल ने केवल इतना जवाब दिया है कि सारे आरोप प्रामणिक दस्तावेजों पर आधारित हैं। धूमल के अतिरिक्त भाजपा के किसी भी अन्य नेता ने इस पर कुछ नही कहा है।

इस परिदृश्य में भाजपा इस आरोप पत्र को आगे जन चर्चा में कैसे लाती है। इसका खुलासा भी आने वाले दिनों में ही होगा। दूसरी ओर मुख्यमन्त्री वीरभद्र सिंह ने आरोप पत्र आने से पहले ही यह चेतावनी दी थी कि यदि बेबुनियादी और प्रमाणों के बिना उन पर आरोप लगाये गये तो वह मानहानि का दावा दायर करेंगे। अब आरोप तो लग गये हैं इन पर आगे सरकार और स्वयं प्रतिपक्ष क्या रणनीति अपनाते हैं इस पर सबकी निगाहें लगी हैं। इस आरोप पत्र पर जनता की प्रतिक्रिया क्या होती है इसके लिये आरोप पत्र को पाठकों के सामने यथावत रखा जा रहा है।

इस कड़ी में सरकार में स्वास्थ्य एवं राजस्व मंत्री ठाकुर कौल सिंह, आबकारी एवं कराधान मंत्री प्रकाश चौधरी, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री अनिल शर्मा, मुख्य संसदीय सचिव लोक निर्माण विभाग विनय कुमार, डिप्टी स्पीकर जगत सिंह नेगी और उनके विभागों पर लगे आरोप सामने रखे जा रहे हैं।

आशा वर्कर भर्ती घोटाला – आशा वर्कर की भर्ती अपने आप में बड़ा घोटाला है जिसमें अनेक महिलायें न्यायालय में गई व न्यायालय ने उन्हें राहत प्रदान की। आशा वर्कर को 1000 रू0 मानदेय की घोषणा लगातार होती रही परन्तु आज तक नहीं दिया।

टैस्ट लैब घोटाला – स्वास्थ्य विभाग हि0प्र0 ने विगत चार वर्षों के शासन काल में स्वास्थ्य विभाग को पूरी तरह आउट सोर्सिंग पर करने का कार्य किया है जिसमें भारी भरकम भ्रष्टाचार हुआ है।

हिमाचल प्रदेश के सभी बड़े अस्पतालों की लेबोरेटरी को आउट

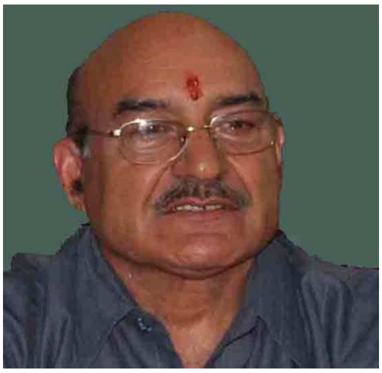

सोर्स कर दिया है। आई0जी0एम0 सी0 और आर0पी0जी0एम0सी0 टांडा जैसे बड़े अस्पतालों, जहां करोड़ों रू0 की मशीने सरकारी लैब में लगी हुई है उन्हें लगभग बेकार करके निजि कम्पनी की लैब को टैस्टिंग का काम आउट सोर्स किया गया है। प्रदेश के इन सभी अस्पतालों में 24 घंटों में से केवल 3 घंटा सरकारी लैब काम करती है व 21 घंटा आउट सोर्स की गई एस0एल0आर0 लैब काम करती है। आउट सोर्सिंग में एस0एल0आर0 लैब को स्थान अस्पतालों के मध्य में दिया गया है व सरकारी अस्पतालों के अतिरिक्त निजि अस्पतालों का कार्य भी ये सरकारी प्रिमीसिस में करने के लिए अधिकृत हैं। विगत चार वर्षों में प्रदेश के अनेक बड़े अस्पतालों की आर0के0एस0 में टैस्टों के दामों में एक से अनेक बार वृद्धि की गई है जो सीधा-2 एस0एल0आर0 लैब को लाभ पहुंचाने के दृष्टिगत किया गया है।

टैक्निकल व अन्य कर्मचारियों को आउट सोर्सिंग पर रखा गया है जिसके लिए अपनी चहेती कम्पनियों को आउट सोर्सिंग का काम दिया गया है। कर्मचारियों को आउट सोर्सिंग पर रखते समय सीधा सीधा मंत्रालय के माध्यम से संदेश आने पर ही कर्मचारी रखे गए हैं, जो कम्पनी इस काम के लिए लगाई गई है, उस कम्पनी को काम देने से पहले भी नियमों को दरकिनार किया गया है। आरोप यह भी है कि कर्मचारी को दिए जाने वाली तनख्वाह का 30 प्रतिशत से अधिक भाग कम्पनी को जाता है जो सीधा-सीधा बेरोजगार के साथ धोखा है।

हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग में भी जी0एन0एम0 नर्सिस व अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी तकनीकि स्टाफ को आउट सोर्सिंग पर रखा गया है इसमें भी भाई-भतीजावाद व भारी भ्रष्टाचार हुआ है। साथ ही हिमाचली बेरोजगारों के साथ धोखा किया गया है।

पीलिया का प्रकोप – हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विभाग एवं सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग मिल कर जनता की जान के दुश्मन बन गए। शिमला-सोलन एवं सिरमौर में पीलिए का जो भयानक प्रकोप हुआ वह सरकार की कार्यशैली एवं सरकार में फैले भयानक भ्रष्टाचार का परिणाम रहा जिसमें 70 से अधिक लोगों की जाने गई। 15000 लोग पीलिये से ग्रसित हुए, सैंकड़ों लोगों के लीवन व अन्य अंगों पर स्थाई रूपा से विपरीत प्रभाव पड़ा। प्रदेश के करोड़ों रू0 व जनता के करोड़ों रू0 ईलाज पर व्यय हुए व मानव शक्तियों का क्षय हुआ यह किसी भी महामारी से अधिक भयावह स्थिति रही है।

आज भी स्थिति सुखद नहीं है, किसी भी समय दोबारा वह स्थिति पैदा हो सकती है।

ऑक्सीजन गैस सिलैण्डर सप्लाई घोटाला –

✔ प्रिसिंपल-कम चेयरमैन रोगी कल्याण समिति आई0जी0एम0सी0 एवं हास्पिटल शिमला ने पंजाब केसरी एवं अन्य अखबारों में 9-8-2014 को आई0जी0एम0 सी0 एवं इसके सहायक अस्पतालों में 150 सी0यू0एम0 प्रति घंटा क्षमता से मैडिकल ऑक्सीजन के निर्माण तथा सप्लाई के लिए आई0जी0 एम0 सी0 शिमला में ऐयर सेपरेशन यूनिट स्थापित करने के लिए टैण्डर बुलाये। चाहिए तो यह था कि ई-टैण्डरिंग की जाती तो पूरे देश से कई इच्छुक कम्पनियां इस स्पर्धा में भागीदार बनती लेकिन पूराने तरीके से टैण्डर प्रक्रिया को इसलिए प्रयोग किया कि एक मात्र कम्पनी को फायदा पहुंचाना था। इस टैण्डर प्रक्रिया में तीन कम्पनियों ने भाग लिया लेकिन टैक्निकल स्क्रूटनिंग में दो कम्पनियों को डिस्क्वालिफाई कर दिया। अतः एक ही मन चाही कम्पनी जिसका नाम मै0 मांडव-ऐयर-इंडस्ट्रीज मण्डी प्लॉट नं0 12, फेज-1, इंडस्ट्रीयल एरिया, सौली खड्ड मण्डी 175001 की ही Price Bid खोली गई।

साफ दिख रहा है कि सिंगल टैण्डर को स्वीकार किया गया, जो नियमों/कानून का खुला उल्लंघन है। माण्डव एयर इंडस्ट्री आई0जी0 एम0सी0 में पहले से ऑक्सीजन गैस आपूर्ति मण्डी एक्स फैक्टरी से कर रही थी। गैस आपूर्ति 15 वर्षों के लिए टैण्डर किए गए। यह प्लांट आई0जी0एम0सी0 कॉम्पलैकस के अंदर स्वास्थ्य विभाग की जमीन पर लगेगा लिस्ट परचेज कमेटी की बैठक डा0 रमेश चंद जो मैडिकल सुपरिन्टैन्डैंट आई0जी0एम0सी0 हास्पिटल शिमला हैं, उनकी अध्यक्षता में उसमें औपचारिकता निभाई गई। कोई निर्णय नहीं लिया गया।

2nd Purchase Committee की बैठक दिनांक 8-5-2015 को डा0 एस0एस0 कौशल प्रिसिंपल आई0जी0एम0सी0 शिमला की अध्यक्षता में 7 सदसीय ने निर्णय लिए

✔ जो अखबारों में प्रकाशन रोगल कल्याण समिति आई0जी0एम0 सी0 एवं अस्पताल से गया उसमें B.D.R. Built Operate & Removal में नहीं है फिर कैसे बी0ओ0आर के टैण्डर कोलैक्ट किए, अनेकों कम्पनियां बी0ओ0आर0 में हिस्सा लेना चाहती थी लेकिन अखबारों में नहीं था इसलिए वो हिस्सा नहीं ले सकी।

✔ समाचार पत्रों में मात्रा ऑक्सीजन प्लांट से ऑक्सीजन सिलेण्डर तक प्रकाशित हुआ था लेकिन 2nd Purchase Committee Meeting में कई अन्य Items को जोड़ा गया। क्या यह Tender Document का हिस्सा था ही नहीं ?

✔ कौन सा मानक है जिनके द्वारा Rates Justify किए गए। जैसे D Type Cylinder इसी कम्पनी द्वारा Ex Factory Rate 205 रू0 प्रति सिलेण्डर था तो अब जब प्लांट आई0जी0एम0सी0 में लगा तो रेट 205 रू0 ही होना चाहिए था न कि 255 रू0।

✔ पांच वर्ष के उपरांत 5 प्रतिशत प्रति वर्ष कीमत बढ़ने से एक सिलेण्डर D Type 15 वर्ष में पहुंचने पर 425 रू0 का हो जाएगा।

✔ जबकि सोलन व प्रदेश के अन्य अस्पतालों में प्रदेष के दूसरे ऑक्सीजन प्लांटस से दिए जा रहे डी0 टाईप ऑक्सीजन सिलेण्डर बहुत कम दरों में दिए जा रहे हैं। Purchase Committe ने क्यों अन्य प्लांटस से रेटस वैरीफाई नहीं किए।

✔ इस प्लांटस के लगाने से अनुमानित प्रतिदिन-प्रति वर्ष लगभग 2 करोड़ 46 लाख रू0 रोगी कल्याण समिति आई0जी0एम0 सी0 अस्पताल को देने होंगे और 15 वर्षों में यह राशि 40 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी।

यह बहुत बड़ा घोटाला है, इसमें विभाग ओर राज नेताओं की मिलीभगत से यह सारा घिनौना कार्य किया गया है।

✔ प्र0 संया 3303 दिनांक 22-8-2016 के उत्तर में मै0 मांडव एयर इण्डस्ट्री ने जिला कांगड़ा में 175 रू0 डी0-टाईप सिलेण्डर टांडा मैडिकल कॉलेज में मूल्य 160 रू0, डी0 टाईप सिलेण्डर दिए हैं। ऊना जिले में मै0 जे0के0 गैसिज प्लांट नं0 1 एण्ड नं0 2 इंडस्ट्रीयल एरिया गगरेट जिला ऊना ने मू0 110 रू0 में डी0 टाईप सिलेण्डर दिए हैं।

घटिया दवाई घोटाला – दवाई कम्पनियों में निर्मित दवाईयों की गुणवत्ता बनी रहे, इस दृष्टि से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी (ड्रग कंट्रोलर व ड्रग इंस्पैक्टर आदि) समय-2 पर दवाई कम्पनियों का निरीक्षण करते रहते हैं। परन्तु इन चार वर्षों में या तो निरीक्षण किया नहीं या फिर मिलीभगत से दवाईयों की गुणवत्ता बनाए रखने की ओर ध्यान नहीं दिया गया। हालात यहां तक पहुंच गए कि वर्ष 2013 में 5 और वर्ष 2014 में 2 दवा निर्माताओं के यहां पंजाब पुलिस ने छापे मारे और घटिया दवाईयों के सैम्पल पकड़े। आश्चर्य की बात है कि हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का उन्हें वांछित सहयोग नहीं दिया।

यही नहीं विधान सभा प्रश्न सं0 2057 वर्ष 2014-15 दिनांक 8 अप्रैल, 2015 में हिमाचल प्रदेश स्थित कम्पनियों के जो सैम्पल प्रदेश के ड्रग प्रशासन द्वारा टैस्टिंग हेतु प्रदेश स्थित लैब सी0टी0एल0 कंडाघाट भेजे गए। उन में से 7 ड्रग सैम्पल फेल पाए गए जबकि प्रदेश के बाहर अन्य प्रदेशों के ड्रग प्रशासन द्वारा जो टैस्ट करवाए गए उन में से 216 सैम्पल फेल पाए गए। इस पर प्रदेश सरकार द्वारा कोई कारवाई न करना दर्शाता है कि आम जनता के स्वास्थ्य से जुड़े मामले में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है।

पिछले 6 महीने में प्रदेश के बाहर 5 प्रदेशों की लैब्ज में पूरे प्रदेश के 421 सैम्पल फेल हुए जिनमें से 133 सैम्पल हिमाचल प्रदेश के फेल हुए। चार वर्ष पूर्व हिमाचल प्रदेश दवाईयां निर्यात करने वाला देश का अग्रणी प्रांत था और अब यह प्रदेश दवाईयों के सैम्पल फेल होने में अग्रणी हो गया है।

अस्पतालों में सफाई व डाईट के ठेके देने में अपनाया भाई-भतीजावाद –

✔ In Case of Sanitation: Extensions are given to the firms which are close to Congress men without competition and retenderting, compromising quality services and casusing loss to Govt. funds

✔ In case of Diet -: Extensioins are given to near and dears of the Govt. Without competition and without retendering, causing loss of funds and quality compromise.

✔ A model tender documents was notified by the Health Department in 2014 is not at all followed by the department the persons those who are given the contract does not quality acoording to moder tender document 2014

✔ The favoritism does not stops here on the pattern of Mandi Hospital work is going to be allotted to medical college Nerchowk and other medical colleges to given favor to their own persons.

✔ Sanitation contracts of IGMC Shimla were given without following tendering process and the work was splited in to four parts to favor their near & dear.

✔ Food materials supplied for IGMC Shimla are taken randomly without following codal formalities to favor particular persons.

राजस्व विभाग की कारगुजारियां – बद्दी क्षेत्र के धाकरूमाजरा गांव की 158.06 बीघा जमीन HP Ceiling of Land holding Act 1972 की धज्जियां उड़ाते हुए HP Tenancy & Land Reform Act 1972 की धारा 118 के अंतर्गत अमरावती बिल्डर्ज को खरीदने की स्वीकृति दे दी गई। जहां अब Amravati Enclave बना है। इन्होनें फिर धाकरूमाजरा और स्वराजमाजरा की और 34.5 बीघा जमीन खरीदने के लिए आवेदन किया जिसे राजस्व व कानून विभाग की आपत्तियों के बाद खारिज कर दिया, परन्तु आश्चर्य की बात है कि इसी पार्टी को सोलन सुबाथू सड़क पर मौजा लवी खुर्द में 145.14 बीघा जमीन खरीदने की स्वीकृति दे दी गई। हालांकि वन विभाग ने 2527 पेड़ उस जमीन पर होने के कारण स्वीकृति न देने के लिए लिखा था, परन्तु उसे नजरअंदाज कर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह व राजस्व मंत्री कौल सिंह के दबाव में यह स्वीकृति दे दी गई।

भाजपा का आरोप पत्र

घोटालों में अनिल शर्मा का भी है 'हाथ'

पशुपालन विभाग में दवाई घोटाला

पशुपालन विभाग ने वर्ष 2014 – 15 के लिए दवाईयां खरीदने हेतु जिन 30 फर्मो के साथ रेट

कॉन्ट्रैक्ट किया। उनमें से 15 फर्मे सरकार व विभाग ने ब्लैक लिसट या डी – बार कर रखी है। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने इस सम्बन्ध में पत्र की कॉपी प्रदेश सरकार को भी दे दी गई। इसके बावजूद ऐसी फर्मो से उच्च दरों पर दवाईयों की सप्लाई का रेट कॉन्ट्रेक्ट किया गया जो मिलीभगत कर भ्रष्टाचार करने का नमूना है। मुख्यमंत्री द्वारा शिकायत करने के बाद भी कारवाई न करना दर्शाता है उस घोटाले में मंत्री के साथ – साथ मुख्यमंत्री का भी हाथ है।

बेनामी सौदा

जिला मण्डी के राजमहल जमीन बेनामी सौदे में विधायक/मंत्री के बैंक खाते से लाखों रूपये संजय कुमार के खाते में ट्रांसफर हुए। ये बेनामी सौदा खूब राम के नाम हुआ जिसका सूत्रधार संजय था।

होटल घोटाला

भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि हिमाचल में पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री अनिल शर्मा ने मण्डी शहर में अपने होटल मैफेअर को केवल 3 मंजिल बनाने की स्वीकृति नगर परिषद/टी0सी0पी0 से ली थी जबकि उस होटल की 6 मंजिलें अनाधिकृत रूप से बनी है। इसकी जांच विजीलैंस द्वारा की जा रही है। पिछले पांच वर्ष लगातार इसकी मुरम्मत होती रही और अब जांच से बचने के लिए होटल का नाम बदल कर ''रिजैन्ट पाम'' रख दिया।

आय से अधिक सम्पति के आरोप

अनिल शर्मा ने विधान सभा चुनाव के दौरान आय व सम्पति के हल्फनामे में मण्डी स्थित होटल, जो पिछले 5 साल बंद रहा तथा सूरत में 1970 में लगाए सेब के बगीचे जिसमें सेब के पेड़ सूख चुके हैं, से करोड़ों रू0 की आमदन कैसे दर्शाई गई?

शराब माफिया के मसीहा बने प्रकाश चौधरी

हिमाचल प्रदेश के आबकारी एवं कराधान मंत्री प्रकाश चौधरी शराब माफिया के मसीहा बनकर उभरे हैं। इस सम्बन्ध में इनके कारनामे इस प्रकार से हैं :-

शराब आबंटन घोटाला

फरवरी, मार्च, 2015 में प्रदेश के शराब के ठेकों की नीलामी करने का निर्णय पहले कैबिनेट मीटिंग में लिया गया, 15 दिन बाद हुई कैबिनेट मीटिंग में शराब माफिया के दबाव में निर्णय

बदल दिया गया।

अब वर्ष 2016 में हिमाचल प्रदेश आबकारी विभाग ने विभाग के मंत्री के संरक्षण में एक ऐसा कारनामा कर दिया जिससे हिमाचल प्रदेश सरकार को अरबों रू0 की चपत लग गई और बिचौलियों को करोड़ों रू0 की कमाई हो गई। यह भी चर्चा है कि बिना मुख्यमंत्री के आशिर्वाद के यह संभव नहीं है।

✔ आबकारी विभाग ने बिना टैण्डर किए एल0 1 (होलसेल लाईसैंस) रिन्यू करने का फैसला किया।

✔ विपक्ष ने जोरदार आवाज उठाई कि बिना टैण्डर एल0 1 रिन्यू करने से प्रदेश सरकार को नुकसान होगा।

✔ विपक्ष के दबाव में एल0 1 (होलसेल लाईसैंस) के टैण्डर हुए जिसमें 54 एल0 1 लाईसैंस बोली में कामयाब हुए व 32 प्रतिशत का रेवन्यू बढ़ाने का फैसला हुआ।

✔ टैण्डर होने के बाद भ्रष्टाचार करने का एक नया रास्ता निकाला गया जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश बीवरेजिज कॉरपोरेशन।

✔ तय हुआ कि हि0प्र0 बीवरेजिज कॉरपोरेशन बॉटलिंग प्लांट से अंग्रेजी व देसी शराब लेकर रिटेलर को सप्लाई करेगी।

✔ बीवरेजिज कॉरपोरेशन ने एल01 के उपर एल01ए (सूपर होलसेलर) बनाने का कारनामा कर दिया।

✔ सरकार ने पुराने 54 एल01 के लाईसैंस धारक जिन्होंने टैण्डर में भाग लिया था उन्हें समाप्त करके व्ल्यू लाईन नाम कम्पनी को एल01ए सूपर बना दिया और शराब के ठेकों के लिए अंग्रेजी व देसी शराब की सप्लाई का काम इस कम्पनी को दे दिया।

✔ बीवरेजिज कॉरपोरेशन अब खोखा बन गई। बॉटलिंग प्लांट से शराब लेने का काम एल01ए सूपर का, उसे रिटेलर को मनमाने दाम पर सप्लाई करने का काम एल01ए सूपर का, कमाई का सारा काम एल01ए सूपर का।

भाजपा सवाल करती है कि :-

✦ जब एल01 के टैण्डर हो गए थे तो उन्हें रद्द क्यों किया गया ?

✦ जब बीवरेजिज कॉरपोरेशन बना ही दी गई तो रिटेलर को माल कारपोरेशन द्वारा सीधा सप्लाई क्यों नहीं किया गया ?

✦ व्ल्यू लाईन को बीच में क्यों डाला गया? यह व्ल्यू लाईन किसकी कम्पनी है? कितनी धनराशि की डील इस व्ल्यू लाईन को बीच में डालते समय की गई?

✦ एल01 के टैण्डरों के बाद यह तय था कि 32 प्रतिशत का रैवन्यू बढ़ेगा। अब एल01 सूपर लगाने के बाद कुल कितना रैवन्यू आया व कितने सौ करोड़ का घाटा हिमाचल प्रदेश सरकार को हुआ।

✦ ऐसा कौन सा दबाव था जिसके कारण भ्रष्टाचार करने के लिए एक नई कारपोरेशन बनाई गई

भाजपा की मांग है कि इस भारी भरकम भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने के लिए उच्च न्यायालय के सिटिंग जज या सीबीआई द्वारा जांच करवाई जाए।

✦ बॉटलिंग प्लांट आबंटन घोटाला : हिमाचल प्रदेश में स्थिल बॉटलिंग प्लांट आवश्यकता से अधिक शराब बना रहे हैं। इसके बावजूद मंत्री महोदय ने 10 नए बोटलिंग प्लांट स्वीकृत कर दिए जिसमें भारी लेन – देन की चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के दबाव में आबकारी एवं कराधान मंत्री महोदय ने सूरज गुप्ता फैक्टरी को फायदा पहुंचाने के लिए पहले बीयर पर आयात शुल्क बढ़ा दिया और फिर जनरल इंडस्ट्रीयल कॉरपोरेशन (जी0आई0सी0) को संसारपुर टैरेस स्थित सूरज गुप्ता की फैक्टरी से ई0एन0ए0 खरीदने के आदेश दे दिए।

सिरमौर में भ्रष्टाचार के मसीहा बन कर उभरे विनय कुमार

वर्तमान में सरकार में मुख्य संसदीय सचिव लोक निर्माण विभाग, विनय कुमार सिरमौर जिला में भ्रष्टाचार के मसीहा बन कर उभरे हैं जिन पर आरोप हैं

✔ सरकारी आई0टी0आई0 को अपने घर में किराये पर खोलना

बिना निविदा लिए अपने निजि आवास प्रेम भवन, खेगुआ में 9 कि0मी0

दूर सरकारी आई0टी0आई0 माइना खोली गई जिसका कई गुना ज्यादा किराया वसूला जाता है।

✔ टैण्डरों में भाई – भतीजावाद

अपने चहेते व सगे सम्बन्धियों को बिना टैण्डर लगाए लोक निर्माण विभाग जिसके वे सी0पी0एस0 हैं, में करोड़ों रू0 के काम दिलवा कर फायदा पहुंचाया जिसकी चर्चा बच्चे – 2 की जुबां पर है।

✔ अवैध रूप से टी0डी0 लेने का मामला

अपनी राजनैतिक पहुंच से धारटीधार क्षेत्र के त्रिमोली नामक स्थान पर मकान बनाने के नाम पर अवैध रूप से शीशम के पेड़ों की टी0डी0 स्वयं विनय कुमार द्वारा ली गई। जब उनका यहां पर कोई टी0डी0 का अधिकार नहीं है, क्योंकि विनय कुमार मूल निवासी माइना बाग के हैं, उनका राशन कार्ड भी माइना बाग का है। इसलिए जहां वन विभाग आम आदमी को दाह संस्कार करने व घरेलू उपयोग के लिए लकड़ी काटने नहीं देता वहीं सी0पी0एस0 साहब को बेशकीमती शीशम की लकड़ी गैर कानूनी ढंग से देना अपने आम में एक बड़ा घोटाला है।

✔ रेणुका विकास बोर्ड में किया भ्रष्टाचार

मुख्य संसदीय सचिव विनय कुमार का रेणुका जी विकास बोर्ड का अध्यक्ष बनना भी सरासर गलत है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में हर जगह मंदिर ट्रस्टों के अध्यक्ष प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। यहां पर भी ऐसा पहली बार हुआ है और रेणुका जी विकास बोर्ड के अध्यक्ष बन कर उन्होंने धार्मिक कार्य करने वाले इस बोर्ड को भी भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। हर वर्ष मेले के नाम पर उद्योगपतियों, सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों व व्यापारियों से करोड़ों रू0 एकत्रित किए गए जिनमें गोलमाल हुआ, कोई हिसाब नही दिया जाता। सांस्कृतिक कार्यक्रमो के कलाकारों के नाम पर, अपने प्रचार हेतु बड़े – 2 होर्डिंग्स लगाने तथा मेले के संचालन में करोड़ों रूपये की धांधलियों के आरोप लगे हैं। गिरी नदी पर हर वर्ष 7 दिन के लिए लाखों रू0 खर्च कर अस्थाई पुल बनाया जाता है, जबकि पहले इसे सेना कुछ हजार रू0 खर्च कर बनाती थी। कुल मिलाकर रेणुका विकास बोर्ड भ्रष्टाचार का अड्डा बना है। पिछले 4 वर्ष के आय – व्यय की जांच करवाई जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके।

✔ सरकारी धन के आबंटन में गड़बड़ी

जिला सिरमौर में De-Centralized Planning व Sectoral De-Centralized Planning के अंतर्गत आए हुए धन का उपयोग कांग्रेसी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के इशारे पर किया गया। जो लोग विकास के लिए मिलने वाली इस धनराषि के सही हकदार थे, उन्हें न देकर भाई – भतीजावाद के आधार पर आबंटन किया गया। SDP Head के अंतर्गत आई राशि का आबंटन विधान सभा क्षेत्र के अनुसार भी सही नहीं किया गया। जिला सिरमौर की कुल SDP का 40 प्रतिशत पैसा अकेले श्री रेणुका जी विधान सभा क्षेत्र को आबंटित किया गया और जहां पर पैसे की सर्वाधिक बंदर बांट की गई है। रेणुका जी विधान सभा क्षेत्र के विधायक एवं सी0पी0एस0 विनय कुमार के संरक्षण में यह सब कुछ किया गया।

जिला सिरमौर में Calamities Relief Fund के माध्यम से सिरमौर का सामान्य जनमानस को बुरी तरह ठगा गया है। किसानों की भूमि बह गई, फसलें बर्बाद हो गई, घर टूट गए, पशु मर गए, पशुशालायें टूट गई और वर्तमान कांग्रेस सरकार ने राहत के नाम पर एक – 2 व्यक्ति को 500 रू0, 250 रू0, 1250 रू0 देकर उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। NCRF प्रश्न संख्या 1160 के अनुसार 4 करोड़ 57 लाख 4 हजार 668 रू0 में से जनता को राहत के लिए दी गई राशियां, फसलों एवं मकानों के लिए 36 लाख 93 हजार 350 रू0, सरकारी भवनों की मुरम्मत के लिए दी गई राशियां 2 करोड़ 60 लाख। इसी प्रकार इसके बाद में आई राशियों में भी गरीब आदमी, किसान, बागवान का जो नुकसान हुआ उसे कुछ नहीं मिला। आज भी व किसान अपने खेतों को रोकने की इंतजार कर रहा है और प्रभावशाली व्यक्तियों को, कांग्रेस पार्टी के चहेतों को भाई – भतीजावाद के आधार पर पैसे की बंदर बांट की गई।

किसी व्यक्ति को पक्के मकान के नुकसान पर 85 हजार रू0, किसी को 60 हजार रू0 दिया गया, दूसरे को 6000 रू0, तीसरे को 3000 रू0। इसी प्रकार अपने चहेतों में बंदरबांट की गई। किसी को शून्य दिया गया।

इस पर Calamities Relief Fund अपने आप में बड़े घोटाले के रूप में ऊभर कर सामने आया है।

डीजल घोटाला

पहले तो हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम को अपने पैट्रोल पम्प से डीजल देने का काम बिना टैण्डर के ले लिया। दूसरा डीजल का टैंकर अपने पैट्रोल पम्प में डालने की बजाए सीधा हि0प्र0 पथ परिवहन निगम के पम्पों में डाला जाता रहा और इस तरह अनैतिक ढंग अपना कर इस घोटाले को अंजाम दिया।

जगत सिंह नेगी की शह पर खनन

किन्नौर जिला में किन्नर कैलाश

कन्सट्रक्शन कम्पनी जिसका एम0डी0 डिप्टी स्पीकर का भाई खुद सतलुज नदी के किनारे पिछले चार वर्षो से अंधाधुंधा खनन किया जा रहा है। इस कम्पनी की जे0सी0बी0 दिन – दिहाड़े खनन करती हुई देखी जा सकती है। पूरे किन्नौर जिला में हो रहे निर्माण कार्यों में उपरोक्त कम्पनी अवैध रूप से रेता, बजरी सप्लाई करती है। आज तक विभागीय कार्यवाही में पिछले चार वर्षो में इस कम्पनी पर कोई भी मामला दर्ज नहीं हुआ, क्योंकि यह खनन जगत सिंह नेगी की शह पर हो रहा है।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिटंर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177 – 2805015, 94180 – 15015 फैक्स: 2805015

प्रदेश में हर वर्ष एक लाख से भी अधिक बढ़ रहा है बेरोजगारों का आंकड़ा

शिमला/बलदेव शर्मा

कांग्रेस पार्टी ने 2012 के चुनावों के दौरान जो घोषणा पत्र जारी किया था उसमें प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को नियमित रूप से प्रतिमाह एक हजार रूपये का बेरोजगारी भत्ता देने का वायदा किया गया था। यह वायदा इसलिये किया गया था क्योंकि उस दौरान धूमल के शासनकाल में कांग्रेस नेता परिवहन मन्त्री जी एसबाली ने बेरोजगार युवाओं को लेकर एक यात्रा आयोजित की थी बाली कांग्रेस का घोषणा पत्र बनाने वाली कमेटी के भी सदस्य थे। इसलिये कांग्रेस ने इसको अपने चुनाव घोषणा पत्र में शामिल कर लिया। लेकिन सत्ता में आने के बाद वीरभद्र सरकार इस वायदे से पीछे हट गयी क्योंकि सरकार की वित्तिय स्थिति इसका भार सहन करने की स्थिति मे नही है। लेकिन जब वीरभद्र सातवीं बार मुख्यमन्त्री देखने के ब्यान आने लगे और यह दावा किया जाने लगा कि सरकार ने घोषणा पत्र के सारे वायदे पूरे कर लिये है तब विपक्ष ने इस अहम मुद्दे को पकड़ लिया। विपक्ष द्वारा मुद्दा उठाये जाने पर बेरोजगारी भत्ते की पैरवी करने वाले भी निशाने पर आ गये। इस स्थिति को समझते हुए बाली स्वयं ही इस मुद्दे पर मुखर हो गये और इस वायदे को पूरा करने की सरकार से मांग कर दी। वरिष्ठ मन्त्री का बेरोजगारी भत्ते पर मुखर होना अपनी ही सरकार को कठघरे में खड़ा कर दिया इससे विपक्ष ज्यादा हमलावर हो गया। अब विपक्ष और बाली को एक साथ जवाब देने के लिये मुख्यमन्त्री को स्वयं पत्रकार सम्मेलन संबोधित करना पड़ा।

बेरोजगारी भत्ते का कितना बड़ा मुद्दा बनेगा यह इसी से प्रमाणित हो जाता है कि मुख्यमन्त्री को स्वयं इसका जवाब देने की नौबत आ गयी। लेकिन क्या मुख्यमन्त्री इसका कारगर जबाव दे पाये है। क्योंकि मुख्यमन्त्री द्वारा पेश किये गये आकंड़ो और तथ्यो पर नेता प्रतिपक्ष ने इस श्वेत पत्र जारी करने की मांग कर दी है। इस मुद्दे को समझने के लिये कुछ तथ्यों पर नजर डालना आवश्यक है। मुख्यमन्त्री ने पत्रकार वार्ता में कहा है कि उनकी सरकार ने बेरोजगारी भत्ते का विकल्प कौशल विकास भत्ता बनाया है और इसके तहत 1.52 लाख युवाओं को यह भत्ता दिया जा चुका है। अब सकरार ने इसके लिये कौशल विकास निगम की स्थापना की गयी है और इसके तहत जो एमओयू साईन किये गये है उनके मुताबिक 65 हजार युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जायेगा और यह प्रशिक्षण देने वाली कंपनीयां ही इन युवाओं की नौकरी सुनिश्चित करेंगी। इसके अतिरिक्त मुख्यमन्त्री ने यह भी दावा किया कि सरकार कौशल विकास के अतिरिक्त भी 40 हजार लोगों को नौकरी दे चुकी है। कौयशल विकास के लिये सरकार ने प्रतिवर्ष 100 करोड़ का बजट प्रावधान रखा है। यह भी दावा किया गया है।

इन दावों की पड़ताल करने के लिये यह जानना आवश्यक है कि प्रदेश में बेरोजगारों का आंकड़ा कितना है। सरकार के वर्ष 2015.16 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 1.4.2015 से 31. 12.2015 तक प्रदेश में 1,46,741 लोगों का बतौर बेरोजगार पंजीकरण हुआ है और कुल बेरोजगारों का कुल आंकड़ा 8,08,767 है। इस अवधि में 2542 रिक्तियां अधिसूचित हुई है और इस अवधि में सरकार में 262 और निजी क्षेत्र में 2607 लोगों का ही नियोजन हो सका है। विभिन्न वर्षो के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार हर वर्ष एक लाख से अधिक बेरोजगार अपना पंजीकरण करवाते आ रहे है और नियोजन के आंकडे भी इसी तरह के रहे है। सरकार ने कौशल विकास योजना मई 2013 से शुरू की है और 31.12.15 तक 68.93 कौशल विकास भत्ते के रूप में 1,07,8 87 लोगों को दिये जा चुके है। सौ करोड़ के प्रतिवर्ष के प्रावधान के मुताबिक 300 करोड़ में से केवल 68. 93 करोड़ बेरोजगार युवाओं तक पहुंचे है शेष सारा पैसा क्या स्थापना के खर्चे पर खर्च हुआ है। मई 2013 में मुख्यमन्त्री के अनुसार 500 करोड़ से कौशल विकास योजना शुरू की गयी थी और अब एशियन विकास बैंक से इसके लिये 640 करोड़ की ऋण सहायता ली गयी है। लेकिन कौषल विकास भत्ते के रूप में बेरोजगार युवाओं को तो केवल करीब 69 करोड़ ही मिले है क्या शेष पैसा कौशल विकास का प्रशिक्षण देने वाली कंपनीयों के खाते में गया है? यह सवाल इसलिये उठा रहा है कि जब इस योजना के तहत जब शुरू में श्रम रोजगार निदेशालय ने प्रशिक्षण के लिये कंपनीयों को चिहिन्त किया गया था उस समय निदेशालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कुछ कंपनीयों के करोडो के बिलों की प्रमाणिकता पर गंभीर सवाल उठाये थे जिनका आज तक कोई जवाब नही आया है। लेकिन दूसरी ओर बेरोजगार युवाओं के साथ तो नियमित रूप से बेरोजगारी भत्ता देने का वायदा किया था। परन्तु कौशल विकास मे तो सीमित समस तक ही यह भत्ता दिया जायेगा। फिर कौशल विकास प्रशिक्षण के बाद कितने युवाओं को वास्तव में ही व्यवहारिक तौर पर इसका लाभ मिला है इसका कोई फीड बैक लेने का प्रावधान नही किया गया है। क्योंकि प्रदेश के कई स्कूलों में व्यवसायिक कोर्स शुरू किये गये है। क्योंकि ऐसी ही एक योजना है। जिस पर अमल किया जा रहा है परन्तु आज तक इन कोर्सो का कोई फीड बैक नही लिया गया है और आज कौशल विकस योजना का विस्तार करके इसे आईटीआई और पालिटेक्निक के सभी ट्रेडों और नर्सिंग तथा होटल प्रबन्धन तक फैलाकर इसके लिये विश्वविद्यालय की स्थापना करने तक ले जाया जा रहा है। कौशल विकास योजना केन्द्र सरकार ने भी शुरू कर रखी है राज्य सरकारें उसी योजना को आगे बढ़ा रही है। लेकिन जहां प्रदेश में हर वर्ष एक लाख से अधिक बेरोजगार युवा रोजगार कार्यालयों में पंजीकरण करवा रहे है उससे रोजगार उपलब्ध करवाने के सरकार के सारे दावों तथा नीयत और नीति पर गंभीर सवाल खड़े हो जाते है।

3 कोल्ड स्टोर बरागटा ने रद्द करवाए मोदी सरकार से:रोहित ठाकुर

शिमला/शैल। वीरभद्र सरकार में मुख्य संसदीय सचिव व जुब्बल कोटखाई से कांग्रेस के एमएलए रोहित ठाकुर ने केन्द्र की एनडीए के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश की तीन सीए स्टोर परियोजनाओं को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने के बावजूद रद्द करने पर कड़ी आपति जताई है और कहा है कि यह निर्णय प्रदेश के बागवानों व किसानों से धोखा है और उनके हितों पर कुठाराघात है। मजेदार यह है कि रोहित ने इसका ठीकरा पूर्व मंत्री व पूर्व भाजपा विधायक नरेंद्र बरागटा पर फोड़ा हैं व कहा कि हिमाचल प्रदेश से एपिडा में बरागटा एकमात्र निदेशक है और उनका हस्तक्षेप इसमें रहता है। उन्होंने आरोप लगाया कि बरागटा ने प्रदेश के बागवानों व किसानों के लिये अन्य परियोजनाएं स्वीकृत करवाने के विपरीत मौजूदा स्वीकृत परियोजनाओं को भी निरस्त करवा दिया तथा राज्य के हितों को एपीडा व केन्द्र सरकार के समक्ष सही प्रकार से रखने में असफल तथा मूकदर्शक बने रहे। बरागटा ने अपने बागवानी मंत्री कार्यकाल के दौरान प्रदेश की बागवानी क्षेत्र की महत्वपूर्ण व बहुमूल्य सम्पत्तियों को कौड़ी के भाव बेच दिया, जिनमें गुम्मा स्थित गता फैक्ट्री को भी उन्होंने कबाड़ के भाव बेच दिया था। इसके अलावा प्रदेश के बाहर एचपीएमसी की अनेक सम्पत्तियों को भी पौने भाव पर बेचा गया।

उन्होंने कहा कि पूर्व यूपीए सरकार के कार्यकाल में फरवरी, 2014 को एपीडा निदेशक मंडल द्वारा 45 करोड़ 40 लाख रुपये की लागत के 7 सीए स्टोर व अन्य परियोजनाओं को तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिनमें खड़ा पत्थर, पतलीकुहल, चुराह, बागी व अणु में सीए स्टोर का निर्माण होना था, इसके अलावा रोहड़ू में ऐप्पल ग्रेडिंग पेकिंग लाइन व जरोल टिक्कर में पोस्ट हारवेस्ट प्लांट का निर्माण शामिल था। इनमें से सेब बहुल क्षेत्र जुब्बल-कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में ही खड़ा पत्थर, बागी व अणु में तीन सीए स्टोरों का निर्माण प्रस्तावित था।

ठाकुर ने कहा कि इनमें प्रथम चरण में 16.81 करोड़ रुपये की तीन परियोजनाएं खड़ापत्थर, चुराह तथा पतलीकूहल के सीए स्टारों के निर्माण को सद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई थी। इस बारे हिमाचल प्रदेश सरकार तथा एपिडा के बीच सितम्बर, 2016 में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। मुख्य संसदीय सचिव ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा जहां शेष चार परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करनी चाहिए थी, लेकिन केन्द्र ने इसके विपरीत पहले से समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित परियोजनाओं को रद्द कर दिया है जो कदापि प्रदेश के बागवानों के हित में नहीं है, क्योंकि प्रदेश सरकार द्वारा खड़ा पत्थर, चुराह, पतली कुहल परियोजनाओं के लिए अपनी शेयर राशि भी जमा करवा दी थी। उन्होंने कहा कि लोक सभा चुनाव के दौरान नरेन्द्र मोदी ने घोषणा की थी कि यदि केन्द्र में भाजपा की सरकार बनती है तो वे सेबों पर लगने वाले आयात शुल्क को तीन गुणा बढ़ा देंगे ताकि देश के सेब उत्पादक बागवानों को किसी प्रकार का नुकसान न हो, परन्तु इसे बढ़ाने के विपरित केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों व बागवानों के विरूद्ध निर्णय लिए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार द्वारा वर्ष 2010-2014 के कार्यकाल के दौरान प्रदेश के लिए 37 करोड़ 47 लाख रुपये की कृषि व बागवानी क्षेत्र की 11 परियोजनाएं स्वीकृत की गई थी, जिससे प्रदेश में कृषि व बागवानी क्षेत्र में आधारभूत अधोसंरचना को विकसित किया जा सके। उस समय पूर्व बागवानी मंत्री नरेन्द्र बरागटा इन परियोजनाओं को श्रेय लेने में लगे रहते थे। परन्तु केन्द्र में भाजपा सरकार के बनने के उपरांत केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों व बागवानों के लिए एक भी नई परियोजना को स्वीकृत देने के बजाए पुरानी स्वीकृत परियोजनाओं को भी निरस्त किया जा रहा है।

रोहित ने मुख्यमंत्री व बागवानी मंत्री विद्या सटोक्स से निरस्त हुए परियोजनाओं का मामला केन्द्र सरकार से पुन: उठाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यदि केन्द्र सरकार इस पर विचार नहीं करती है तो इस मामले में कानूनी पहलुओं को भी तलाशा जाए।

गौरतलब हो कि जिला शिमला के जुब्बल कोटखाई से कांग्रेस के एमएलए रोहित ठाकुर और पूर्व बीजेपी एमएलए नरेंद्र बरागटा के बीच पिछले चार सालों से जमकर जुबानी जंग चलती आ रही हैं। बरागटा रोहित पर तो रोहित बरागटा पर झपटते रहे हैं। दोनों के राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई हैं।

अनुराग ठाकुर की SCको लेकर अजीब प्रतिक्रिया

शिमला/शैल। सुप्रीम कोर्ट के शिकंजे में फंसे हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन व बीसीसीआई के अध्यक्ष पद से हटाए गए अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट को लेकर अजीब प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने टविटर पर लिखित में अपना ब्यान के अलावा वीडियो भी अपलोड़ किया है। ठाकुर ने ये ब्यान एमपी के लेटर हैड पर लिखा हैं। ठाकुर ने लिखा कि अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि बीसीसीआई रिटायर जज् के अधीन बेहतर काम कर सकता हैं तो उन्हें उनकी शुभ कामनाएं। उन्होंने लिखा है कि वो एक नागरिक की तरह सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। ये अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने लोढ़ा समित की सिफारिशें न मानने के लिए उनका अवमानना नोटिस भेजा हैं।

आलोचकों के मुताबिक अनुराग ठाकुर की इस तरह प्रतिक्रियाएं उनके लिए आत्मघाती बताई जा रही है व उनके अंहकार की अभिव्यक्ति करार दिया जा रहा हैं। बीसीसीआई के मसले पर अनुराग ठाकुर एक अरसे से सुप्रीम कोर्ट को चुनौती सी देते आ रहे हैं, जो बीसीसीआई से उनकी बर्खास्तगी की एक बड़ी वजह लग रही हैं। अनुराग को लेकर बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में ही खुलासा किया था कि वो हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने और उसी की टीम के कप्तान बने और रणजी ट्रॉफी का मैच खेला था। अनुराग रणजी से आगे कहीं खेले हो इसकी जानकारी नहीं है।

संभवत: जिस तरह का रवैया बीसीसीआई के मसले पर अनुराग का रहा है। वो देश के इतिहास में कम ही देखने को मिला हैं। अब ये स्टेंड लेना व कहना कि अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि बीसीसीआई का कामकाज रिटायर जज् बेहतर चला सकते हैं तो उनकी शुभकामनाएं, अपने में अजीब हैं। उनसे परिपक्कव व मंझे हुए राजनीतिज्ञ तरह प्रतिक्रिया की उम्मीद की जा रही थी। लेकिन उनकी प्रतिक्रिया बचकानी किस्म की हैं। कहा जा रहा है कि उनके सलाहकार गड़बड़ किस्म के हैं। उन्हें बीसीसीआई की तारीफ करने से पहले जस्टिस मुदगल कमेटी

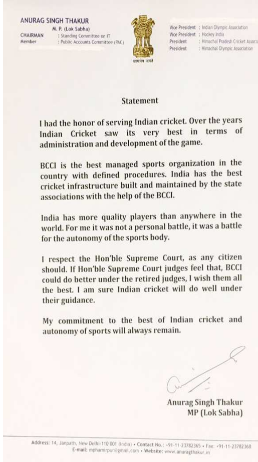
ANURAG SINGH THAKUR
M. P. (Lok Sabha)
CHAIRMAN : Standing Committee on IT
Member : Public Accounts Committee (PAC)

Vice President : Indian Olympic Association
Vice President : Hockey India
President : Himachal Pradesh Cricket Association
President : Himachal Olympic Association

सत्यमेव जयते

Statement

I had the honor of serving Indian cricket. Over the years Indian Cricket saw its very best in terms of administration and development of the game.

BCCI is the best managed sports organization in the country with defined procedures. India has the best cricket infrastructure built and maintained by the state associations with the help of the BCCI.

India has more quality players than anywhere in the world. For me it was not a personal battle, it was a battle for the autonomy of the sports body.

I respect the Hon'ble Supreme Court, as any citizen should. If Hon'ble Supreme Court judges feel that, BCCI could do better under the retired judges, I wish them all the best. I am sure Indian cricket will do well under their guidance.

My commitment to the best of Indian cricket and autonomy of sports will always remain.

Anurag Singh Thakur
MP (Lok Sabha)

Address: 14, Janpath, New Delhi-110 001 (India) • Contact No.: +91-11-23782365 • Fax: +91-11-23782368
E-mail: mphamirpur@gmail.com • Website: www.anuragthakur.in

की रिपोर्ट को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने ऐसा किया। उनके छोटे भाई अरुण धूमल भी सोशल मीडिया फेसबुक पर कई कुछ लिखते रहे हैं।

क्रिकेट सेक्स, सट्टे और ड्रग्स का खेल बनता जा रहा था। जस्टिस मुदगल रिपोर्ट में बहुत कुछ ऐसा है जो क्रिकेट के प्रशासन और उसके कर्ताधर्ताओं के कामकाज को लेकर बड़े गंभीर सवाल उठाता हैं।

उधर, तात्कालिक तौर अनुराग के राजनीतिक दुश्मन (बीच में दोस्ती भी होती रही हैं) व हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने सीमा में रह कर प्रतिक्रिया दी हैं। उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर के बीसीसीआई से बाहर किए जाने पर उनका कुछ भी कहना नहीं हैं। ये अनुराग ठाकुर व बीसीसीआई के बीच का मामला हैं। वीरभद्र सिंह व अनुराग व उनके छोटे भाई अरुण धूमल के बीच एक दूसरे पर तल्ख व निम्न स्तर के जुबानी हमले होते रहें हैं। ये वीरभद्र सिंह ही हैं जिन्होंने अनुराग ठाकुर पर एचपीसीए को लेकर मामले दर्ज कर रखे हैं व धूमल परिवार ने भ्रष्टाचार के मामलों में वीरभद्र सिंह को जेल भेजने का इंतजाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी हैं। आज सीमए की नपी तुली प्रतिक्रिया है। आगामी चुनावी समर में किसके मुंह से क्या निकलेगा ये देखना दिलचस्प होगा। जबकि पूर्व मुख्यमंत्री व अनुराग ठाकुर के पिता प्रेम कुमार धूमल ने भी नपी तुली प्रतिक्रिया दी हैं व कहा कि अनुराग ठाकुर ने हमेशा खेलों को बढ़ावा दिया व अदालत के फैसले पर ज्यादा बोलना ठीक नहीं।

लेकिन मुख्यमंत्री के पुत्र व प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह ने अनुराग ठाकुर की बर्खास्तगी पर खूब जहर उगला हैं। विक्रमादित्य ने मीडिया से कहा कि ये अनुराग ठाकुर की नालायकी की वजह से हुआ जो ये दिन देखना पड़ा। उन्होंने कहा कि ठाकुर ने एचपीसीए में भी रंग दिखाए लेकिन बीसीसीआई में उनका खेल नहीं चला।